VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

राजव्यवस्था

Classroom Study Material

www.visionias.in +91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD

विषय सूची

1. केंद्र-राज्य सम्बन्ध 5

1.1. अंतर्राज्यीय परिषद 5
1.2. कावेरी नदी जल विवाद निर्णय 7
1.3. राज्यों हेतु विशेष प्रावधान 9
1.3.1. गोरखालैंड मामला 9
1.3.2. अनुच्छेद 35A 9
1.3.3. सिक्किम विधानसभा की सीटों में वृद्धि 10
1.4. राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्बन्ध 11
1.4.1. पुडुचेरी मामला 11

2. संविधान तथा संसद/राज्य विधानमंडल के कार्य से सम्बंधित मुद्दे 14

2.1. संसद के कार्य से सम्बंधित मुद्दे 14
2.1.1. लाभ का पद 14
2.1.2. परिसीमन की दुविधा 15
2.1.3. विधायिका सदस्यों के विशेषाधिकार 17
2.1.4. संसदीय सत्र 18
2.1.5 विभागीय स्थायी समितियां 18
2.1.6. निजी विधेयक 19
2.1.7. लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता 20
2.1.8. सचेतक (व्हिप) 20
2.1.9.जनजातीय उप योजना 21
2.1.10. आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी 23
2.2. संवैधानिक मुद्दे 25
2.2.1. निवारक निरोध 25
2.2.2. अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल 25
2.2.3.राज्य ध्वज संबंधी मुद्दा 25
2.2.4. निजता का अधिकार 26
2.2.5. राज्य सभा चुनावों में NOTA 27
2.2.6. हेट स्पीच 28

3. कार्यपालिका 30

3.1. MPLADS 30
3.2. पूर्व स्वीकृति 30
3.3. विकास की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सांसदों के लिए ऐप 31
3.4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 31

4. भारत में निर्वाचन 33

4.1. निर्वाचन आयोग से सम्बंधित मुद्दे 33

VISION IAS

4.1.1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे 33
4.1.2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A 33
4.1.3. चुनाव चिन्ह 34
4.2. चुनाव सुधार 35
4.2.1. हाइब्रिड इलेक्ट्रोरल सिस्टम 35
4.2.2. चुनावी बॉन्ड 37
4.2.3. टोटलाइजर मशीनें 37
4.2.4. पेड न्यूज़ और चुनाव सुधार 38
4.2.5. आय के स्रोत की घोषणा 39
4.2.6. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025 40
4.2.7. NRIs प्रॉक्सी वोटिंग 40

5. न्यायपालिका 42

5.1. न्यायपालिका से सम्बंधित मुद्दे 42
5.1.1. अनुच्छेद 142 42
5.1.2. बड़ी खंडपीठों से सम्बंधित मामला 42
5.1.3. उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ 43
5.1.4. ADR प्रणालियाँ 43
5.1.5. न्यायाधिकरण 45
5.2. सुधार 45
5.2.1. टेली-लॉ इनिशिएटिव 45
5.2.2. प्रो-बोनो लीगल सर्विस 46
5.2.3.'न्याय मित्र' स्कीम 46
5.2.4. एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाईज्ड पर्सन्स 46
5.2.5.न्याय प्रतिपादन और कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन 47
5.2.6. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS) 47

6. शासन के महत्वपूर्ण पहलू / पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता 48

6.1. भारत में सहकारी आंदोलन 48
6.2. RTI से सम्बंधित मुद्दे 49
6.2.1. न्यायपालिका एवं RTI अधिनियम 49
6.3. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन 50
6.4. आपराधिक न्याय प्रणाली 51
6.5. चकमा-हाजोंग शरणार्थी 52
6.6. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2016 53
6.7 संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा 54
6.8. सोशल ऑडिट 55
6.9 योजना निगरानी दल 55
6.10. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 56
6.11 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017 56

VISION IAS

6.12. कॉमिट 57

7. स्थानीय शासन 58

7.1. म्युनिसिपल बांड 58
7.2. पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना 59

8. संवैधानिक, नियामकीय एवं अन्य निकाय 61

8.1. नीति आयोग 61
8.2. लोकपाल 62
8.3. वित्त आयोग 63
8.4. केंद्रीय सतर्कता आयोग 63
8.5. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 64
8.6. स्वायत्त निकाय 65

9. महत्वपूर्ण कानून / विधेयक 67

9.1. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन 67
9.2. IIIT (PPP) विधेयक, 2017 68
9.3. यातना निरोधक कानून का प्रस्ताव 68
9.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 69
9.5. एंटी-हाईजैकिंग एक्ट, 2016 70

10. नीतियाँ/ योजनाएँ 71

10.1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल 71
10.2. खेलो इंडिया 71
10.3. टारगेट ओलंपिक पोडियम 72
10.4. ई-समीक्षा 72
10.5. सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली 73
10.6. मिशन अंत्योदय 73
10.7. पूर्वोत्तर भारत हेतु पहलें 74
10.7.1. पूर्वोत्तर हेतु नीति फोरम 74
10.7.2. पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना 75
10.7.3. नार्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल 75
10.7.4. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना 76
10.7.5. नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज स्कीम 76
10.7.6. केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना 76
10.8. उमंग ऐप 77
10.9. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 3.0 77

11. विविध 79

11.1. इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम 79

VISION IAS

11.2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 79
11.3. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016 79
11.4. ड्रग संबंधी समस्या पर पंजाब और संयुक्त राष्ट्र सहयोग 79
11.5. ग्लोबल इंडेक्स ऑफ़ कन्ट्रीज 80
11.6. NCRB का BPRB के साथ विलय 81

"You are as strong as your foundation"
FOUNDATION COURSE
GS PRELIM cum MAINS 2019
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
DELHI
15th May | 11th June
FOUNDATION COURSE @
JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD
Starts: 15th May | 11th June
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
➥ Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
➥ Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
➥ Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
➥ Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2019 (Online Classes only)
➥ Includes comprehensive, relevant & updated study material
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

1. केंद्र-राज्य सम्बन्ध

(CENTRE-STATE RELATION)

1.1. अंतर्राज्यीय परिषद

(Inter-State Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अन्तर्राज्यीय परिषद और अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- संविधान का **अनुच्छेद 263** एक **अन्तर्राज्यीय परिषद (ISC)** के गठन का प्रावधान करता है।
- न्यायमूर्ति **आर. एस. सरकारिया** की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि:
  - अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर सरकारी परिषद (IGC) नामक एक **स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद** का गठन किया जाना चाहिए।
  - IGC को सामाजिक-आर्थिक योजना और विकास के अतिरिक्त, अनुच्छेद 263 के खंड (b) और (c) में निर्दिष्ट दायित्वों को सौंपा जाना चाहिए।
- इस प्रकार, 1990 में अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई।

अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को निम्नलिखित मुद्दों पर **जाँच, चर्चा और परामर्श** देने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है:

(a) विवाद, जो राज्यों के मध्य उत्पन्न हो गए हों;

(b) उन विषयों पर, जिनमें कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित हों; या

(c) लोक हित के किसी विषय पर अनुशंसा करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक बेहतर समन्वयन के लिए अनुशंसाएं करने हेतु।

- इसके कार्य उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत प्रदत्त, सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णयन के क्षेत्राधिकार के पूरक हैं।
- अनुच्छेद 263 का खंड (a) को ISC की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा हटा दिया गया था। यह परिषद को अंतरराज्यीय संघर्ष संबंधी मुद्दों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता था।

ISC की संरचना

- अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री
- उन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं हैं
- राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के राज्यपाल
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित (गृहमंत्री सहित) छः केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री

ISC की बैठक

- नवंबर 2017 में आयोजित होने वाली अंतिम बैठक सहित स्थायी समिति की 12 बैठकें हो चुकी हैं।
- जुलाई 2016 में आयोजित होने वाली अंतिम बैठक सहित अन्तर्राज्यीय परिषद की 11 बैठकें हो चुकी हैं।

VISION IAS

ISC से संबंधित तथ्य

- यह अन्तर्राज्यीय, केंद्र-राज्य तथा केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मामलों पर एक **परामर्शदात्री निकाय** है।
- यह **एक स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं** है, किंतु इसे 'किसी भी समय' स्थापित किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी।

केंद्र-राज्य संबंध से संबंधित समितियां

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
- राजमन्नार समिति (1969)
- आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)
- पश्चिम बंगाल ज्ञापन-पत्र (1977)
- सरकारिया आयोग (1983)
- पुंछी आयोग (2007)

- परिषद के विचारार्थ विषयों पर निरंतर परामर्श और इन विषयों के संचालन हेतु 1996 में **परिषद की स्थायी समिति** की स्थापना की गयी।
- समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  - केंद्रीय गृह मंत्री
  - पांच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
  - 9 मुख्यमंत्री
- 1991 में परिषद की सहायतार्थ एक **अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय** की स्थापना की गयी, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के एक सचिव द्वारा की जाती है।

केंद्र-राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अन्य उपाय-

- **क्षेत्रीय परिषदें -** ये **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के तहत स्थापित सांविधिक निकाय हैं।
  - ये देश को **5 क्षेत्रों** में विभाजित करती हैं- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी।
  - ये केवल विमर्शी और परामर्शदात्री निकाय हैं।
  - प्रत्येक **क्षेत्रीय परिषद** में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-
    - केंद्र सरकार का गृह मंत्री (जो पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है)
    - क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
    - क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के दो अन्य मंत्री
    - क्षेत्र में प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के प्रशासक
  - प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री चक्रीय रूप से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - 1 अप्रैल 2011 से, क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय संबंधी कार्य, अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय को स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
- **राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC)-**
  - इसका गठन 1961 में किया गया था। इसकी नवीनतम बैठक (सोलहवीं बैठक) 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई थी।
  - परिषद को राष्ट्रीय एकीकरण के सभी पहलुओं से संबंधित समस्याओं की जांच करने और इनसे निपटने हेतु आवश्यक सिफारिशें देने के लिए निर्देशित किया गया था।
- **नीति आयोग-** 1 जनवरी, 2015 को **केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव** के माध्यम से स्थापित नीति आयोग, भारत सरकार का प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' है। यह निर्देशनात्मक और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। (8.1 का संदर्भ लें)

VISION IAS

पूर्वोत्तर परिषद

- इसका गठन संसद के एक पृथक अधिनियम- **पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971** द्वारा किया गया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।
- अन्य 5 परिषदों के लिए निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि-
  - यह सामान्य महत्व के सभी विषयों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना का निर्माण करती है।
  - इसे समय-समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है।

1.2. कावेरी नदी जल विवाद निर्णय

(Cauvery River Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी से प्राप्त होने वाले जल के हिस्से में वृद्धि की गई। फरवरी 2007 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा इस पक्ष में निर्णय दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- 1986 में तमिलनाडु द्वारा अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) के तहत कावेरी नदी जल विवाद के निवारण हेतु एक ट्रिब्यूनल के गठन की अपील की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप 2 जून,1990 को कावेरी जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई।
- 16 वर्षों तक मामले की सुनवाई करने तथा अंतरिम निर्णय देने के पश्चात्, अंत में वर्ष 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपने अंतिम फैसले की घोषणा की।
- हालाँकि, वर्तमान विवाद की शुरुआत तब हुई, जब उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को 10 दिनों तक प्रतिदिन 15000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश जारी किया था।

अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 262(2)** के अंतर्गत संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या परिवाद के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।
- **अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (IRWD Act)** को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया जाता है। साथ ही, इसी अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा **नदी बोर्ड अधिनियम (1956)** को भी अधिनियमित किया जाता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का महत्व

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार नदी तट पर स्थित विभिन्न राज्यों के मध्य समानता के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है की उनके मध्य जल का समान वितरण हो; यह केवल जल के न्यायसंगत तथा उचित उपयोग एवं "पेयजल की आवश्यकता" को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने पर बल देता है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय से दो सिद्धांत निर्धारित हुए हैं, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निरंतर एवं विस्तृत प्रभाव डाल सकते हैं:-
  - **भूजल-** राज्य में भूजल की उपलब्धता के कारण, तमिलनाडु को आवंटित जल की मात्रा को घटाकर कुछ कम किया गया था।
  - **वैध लचीलापन-** अनेक वर्षों के दौरान बेंगलुरु शहर में हुए विकास के परिणामस्वरूप नागरिक सुविधाओं की मांग में भी वृद्धि हुई है।
- **समतापूर्ण विभाजन (Equitable Apportionment)** के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **हेलसिंकी नियमों, कैंपियन (campione) नियमों तथा बर्लिन नियमों द्वारा** मान्यता प्रदान की गयी है और इसे 1987 से लेकर 2002 तक की राष्ट्रीय जल नीतियों में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही, इसे अंतर्राज्यीय नदी जल विभाजन के मुद्दों से निपटने हेतु मार्गदर्शी कारक के रूप में भी स्वीकार किया गया है।
- कावेरी जैसी अंतरराज्यीय नदी एक **राष्ट्रीय परिसंपत्ति** है तथा कोई भी राज्य इसके जल पर अपने एकमात्र स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता और न ही अन्य राज्यों को उनके न्यायोचित हिस्से से वंचित कर सकता है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- नदी जल उपयोग राज्य सूची का एक विषय है (राज्य सूची की प्रविष्टि 17) परन्तु केंद्र सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के विनियमन तथा विकास से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है (संघ सूची प्रविष्टि 56)।
- **अनुच्छेद 263** के तहत राष्ट्रपति, अंतर्राज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है जिसका कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद की जांच तथा उससे संबंधित अनुशंसा करना है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956- केवल अंतर्राज्यीय नदियों/नदी घाटियों पर लागू होता है।

- इसका मुख्य उद्देश्य नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित (अपस्ट्रीम) राज्यों द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों का अतिरिक्त उपयोग किये जाने पर नदी के उद्गम स्थल से दूर स्थित (डाउनस्ट्रीम) राज्यों के हितों की रक्षा करना है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल, 2017

- इसने मौजूदा अनेक ट्रिब्यूनलों के स्थान पर **सिंगल स्टैंडिंग ट्रिब्यूनल** (अनेक पीठों के साथ) गठित करने की सिफारिश की है।
- इसने तकनीकी सहायता देने हेतु **आंकलन कर्त्ताओं की नियुक्ति** की अनुसंशा की है।
- इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित **विवाद समाधान समिति (DRC)** के माध्यम से, वार्ता द्वारा विवाद को सुलझाने हेतु एक तंत्र का प्रस्ताव किया गया है।
- यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रत्येक नदी बेसिन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी डेटा संग्रहण प्रणाली का प्रावधान करता है।

सुर्ख़ियों में रहे कुछ अन्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद इस प्रकार हैं:-

- **वंशधारा नदी विवाद**- आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के मध्य।
- **महानदी जल विवाद**- ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के मध्य।
- **महादायी (मंडोवी) नदी विवाद**- गोवा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य।
- **कृष्णा नदी विवाद**- महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मध्य।

VISION IAS

1.3. राज्यों हेतु विशेष प्रावधान

(Special Provisions for States)

1.3.1. गोरखालैंड मामला

(Gorkhaland Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक पृथक गोरखालैंड के निर्माण की मांग पर दार्जिलिंग में पूर्ण बंदी और हिंसक घटनाएं देखी गईं।

जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान

पांचवी अनुसूची (अनुच्छेद 244(1))-अनुसूचित क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- यह एक जनजाति सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करती है।
- राज्यपाल को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानूनों को संबंधित क्षेत्रों के लिए उपयुक्तता के आधार पर लागू करने अथवा न करने की शक्ति है।
- यह राज्यपाल को क्षेत्र में सुशासन और शांति के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- पांचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु केंद्र द्वारा राज्य को दिए गये निर्देशों के विस्तार से भी संबंधित है।

छठवीं अनुसूची

- यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्वशासी जिलों के प्रशासन से संबंधित है।
- इन स्वशासी जिलों को प्रत्यक्षतः राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- यह अनुसूची इन जिलों में जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करती है।
- **अनुच्छेद 244A** असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को अपनी स्वयं की स्थानीय विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक स्वशासी स्थिति का प्रावधान करता है।

गोरखा कौन हैं?

भारतीय गोरखा स्वदेशी लोग हैं जो हिमालयी क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करते हैं। गोरखाओं का स्थायी निवास जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्य हैं।

गोरखालैंड की मांग का प्रत्युत्तर

- **दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC):** · 1988 से एक स्वशासी हिल काउंसिल के रूप में कार्यरत है।
- **गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA):** 2012 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को प्रतिस्थापित करके भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर GTA का गठन किया गया। यह एक अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है। इसमें प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हैं लेकिन विधायी शक्तियां नहीं हैं।

1.3.2. अनुच्छेद 35A

(Article 35A)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय में दायर अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता पर निर्णय संबंधी याचिका के जवाब में यह संकेत दिया गया है कि इस पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।

अनुच्छेद 35A क्या है?

- संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (D) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1954 में अनुच्छेद 35A को संविधान में शामिल किया गया था।

VISION IAS

- संविधान का अनुच्छेद 35A राज्य के "स्थायी निवासियों" और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। साथ ही इस शक्ति को समानता का अधिकार या संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधानों को संरक्षण प्रदान करता है। जिसके तहत राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर कर दिया जाता है। इन अधिकारों से उनके बच्चे भी वंचित रहेंगे।
- हालांकि, ये विशेष अधिकार और सुविधाएँ केवल निम्नलिखित चार श्रेणियों में प्रदान किए जा सकते हैं:
  - राज्य सरकार के अंतर्गत रोजगार;
  - राज्य में अचल संपत्ति का अधिग्रहण;
  - राज्य में निवास; या
  - छात्रवृत्ति और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त इसी प्रकार की अन्य सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर के लोगों के राज्य में बसने और संपत्ति खरीदने पर रोक लगाता है।

अनुच्छेद 370

- यह एक '**अस्थायी प्रावधान**' है, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करता है।
- **रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार** के अतिरिक्त, संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- **आपातकालीन प्रावधान-** केंद्रीय सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकती है, जब तक कि यह राज्य सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से नहीं किया जाता है।
- केंद्र द्वारा राज्य में केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के मामलें में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
- केंद्र को अनुच्छेद 360 के तहत राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

1.3.3. सिक्किम विधानसभा की सीटों में वृद्धि

(More Seats for Sikkim Assembly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 40 करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 371F, 36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975)

- लोकसभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- संसद, सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु विधानसभा में सीटों की संख्या आवंटित कर सकती है, जो कि उन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जा सकती हैं।
- राज्यपाल के पास "जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु शांति और समान न्याय उपलब्ध कराने हेतु विशेष उत्तरदायित्व" होगा।
- सिक्किम का गठन करने वाले क्षेत्रों में लागू सभी पूर्व कानून राज्य में लागू रहेंगे और उनमें रूपांतरण या संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

VISION IAS

अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J तक 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं-

- अनुच्छेद 371- महाराष्ट्र और गुजरात
- अनुच्छेद 371A- नागालैंड
- अनुच्छेद 371B - असम
- अनुच्छेद 371C- मणिपुर
- अनुच्छेद 371D और E-आंध्र प्रदेश
- अनुच्छेद 371F- सिक्किम
- अनुच्छेद 371G- मिजोरम
- अनुच्छेद 371H- अरुणाचल प्रदेश
- अनुच्छेद 371I- गोवा
- अनुच्छेद 371J- कर्नाटक

संबंधित अन्य तथ्य

- उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी थी कि लिम्बू और तमांग (सिक्किम में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित) जनजाति को विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, STs के लिए सीटों की कुल संख्या जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।
- 2016 में उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए थे।
- इस प्रकार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की दूसरी अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत सिक्किम विधान सभा में कुल सीटों की संख्या वर्तमान 32 सीटों से बढ़कर 40 हो जाएगी।
- लिम्बू और तमांग समुदायों के लोगों को प्रस्तावित संशोधन में बढ़ी हुई आठ में से पाँच सीटों पर आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- परिसीमन अधिनियम, 2002 और इसके परिणामस्वरूप **84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों** के अनुसार, 1971 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों को लोकसभा और सभी राज्यों की विधान सभाओं को आवंटित मौजूदा सीटों की कुल संख्या, 2026 के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक नियत रहेगी।
- अनुच्छेद 371(f) के तहत सिक्किम हेतु **विशेष संवैधानिक प्रावधानों** के अनुसार सरकार नए परिसीमन आयोग का गठन किए बिना प्रस्तावित बदलाव कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 170 (विधानसभाओं की संरचना और उनके लिए परिसीमन के कुछ प्रावधान) सिक्किम पर लागू नहीं होता है।

1.4. राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्बन्ध

(State and UT Relations)

1.4.1. पुडुचेरी मामला

(Puducherry Issue)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) और मुख्यमंत्री (CM) के मध्य इन्हें प्राधिकृत शक्तियों और LG की राज्य विधानसभा में सदस्य नामित करने की शक्तियों को लेकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई।

VISION IAS

केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन

- संविधान के **भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 तक**, UTs से संबंधित प्रावधान शामिल किये गये हैं और प्रशासन के सन्दर्भ में प्रत्येक UT, अन्य UTs से भिन्न है।
- प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति **(अनुच्छेद 239A)** द्वारा किया जाता है, जो उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संचालित किया जाता है। प्रशासक को राज्यपाल के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं किंतु वह केवल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है न कि राज्य का प्रमुख।
- प्रशासक को उप-राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप में पदनामित किया जा सकता है।

विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश-

दिल्ली और पुडुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें स्वयं की विधायिका के माध्यम से आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है।

पुडुचेरी भारत का सबसे छोटा और प्रशासनिक तौर पर एक चुनौतीपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। यह प्रशासनिक इकाई के रूप में दक्षिण भारत के तीन राज्यों में विस्तृत है:

- तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल
- केरल में माहे
- आंध्रप्रदेश में यनम जिला

- प्रशासक की शक्तियों और कार्यों का **अनुच्छेद 239 और 239AA** के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।
- पुडुचेरी (संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963) और दिल्ली (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991) के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 240 (1)** में कहा गया है कि विधायी निकाय के सृजन के पश्चात् अथवा विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से राष्ट्रपति का प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो जायेगा। हालाँकि विधानमंडल के निलंबन या विघटन की अवधि में राष्ट्रपति विनियम बना सकता है।
- **संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963** के अनुसार, पुडुचेरी विधानसभा में तीन सदस्यों को केंद्र द्वारा नामित किया जा सकता है। इस प्रकार, केंद्र सरकार को विधि द्वारा सदस्य नामित करने का अधिकार है।
- किंतु इन सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया को अधिनियम द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि इसके लिए कोई नियम या अधिसूचना जारी नहीं की गयी। इस प्रकार, यह व्यक्तिनिष्ट व्याख्याओं के लिए अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 239- UT का प्रशासन

- प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस मात्रा तक जो वह उचित समझे, संचालित किया जायेगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य, स्वयं द्वारा नियुक्त एवं पदनामित प्रशासक के माध्यम से किये जायेंगे।
- राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त कोई राज्यपाल, UT के प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्री-परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा।
- 69 वें संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा अंतःस्थापित **अनुच्छेद 239 AA** दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियों में अंतर

- केंद्र सरकार एक संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में, **राज्य सूची के सभी विषयों पर कार्यकारी और विधायी शक्ति** का उपयोग कर सकती है, जो पूर्ण राज्य सरकार के सन्दर्भ में संभव नहीं है।
- अनुच्छेद 240(1) के अनुसार, राष्ट्रपति को कुछ UT के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, जब तक कि उस UT के लिए कोई विधायिका कार्यरत न हो। यहां तक कि विधायिका होने की स्थिति में भी प्रशासक विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति इसे अस्वीकार (धन विधेयक को छोड़कर) कर सकता है।

VISION IAS

- राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु UT के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
- "न्यायिक आयुक्त" से संबंधित प्रस्ताव सहित कुछ विधायी प्रस्तावों के लिए प्रशासक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
- UT सरकार द्वारा निम्नलिखित विषयों से संबंधी कोई विधेयक पुर:स्थापित करने से पूर्व तथा इनमें कोई संशोधन करने से पूर्व LG की "अनुशंसा" अनिवार्य है:
    - किसी भी कर का आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन
    - किसी लिए गए या लिए जाने वाले वित्तीय दायित्व के संदर्भ में क़ानून में ऐसा संशोधन जिसका संबंध संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से है।

2. संविधान तथा संसद/राज्य विधानमंडल के कार्य से सम्बंधित मुद्दे

(ISSUES RELATED TO CONSTITUTION & FUNCTIONING OF PARLIAMENT/STATE LEGISLATURE)

2.1. संसद के कार्य से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to Functioning of Parliament)

2.1.1. लाभ का पद

(Office of Profit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2015 में, दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को **संसदीय सचिव** के रूप में नियुक्त किया था।
- इसके पश्चात्, दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यताओं का उन्मूलन) अधिनियम, 1997 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया ताकि संसदीय सचिवों को "लाभ के पद" की परिभाषा से बाहर रखा जा सके।
- हालांकि इस संशोधन विधेयक को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति नहीं मिली थी, जिससे विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने का मार्ग खुला रहा।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रपति को अयोग्यता संबंधी अनुशंसा की:
  - संसदीय सचिवों के रूप में उन विधायकों का पद एक सरकारी पद था।
  - इस पद में लाभ प्रदान करने की संभावनाएं विद्यमान थीं और इसके कार्यकारी दायित्व एक मंत्री के समान थे।
- अनुच्छेद 102 व अनुच्छेद 191 से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को ECI द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है।

अनुच्छेद 102(1)(a): सदस्यों की निरर्हता

एक व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में संसद का सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा-

(a) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण करने पर

(b) विकृतचित्त होने पर

(c) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर

(d) भारत का नागरिक न रहने पर अथवा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर

अनुच्छेद 191(1)(a)

लाभ का पद धारण करने एवं उपरोक्त वर्णित अन्य निरर्हताओं के कारण राज्य विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के संदर्भ में

गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) एक्ट, 1991 की धारा 15(1)(a)

एक व्यक्ति विधानसभा का सदस्य चुने जाने एवं होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह विधि द्वारा संरक्षित किसी पद के अतिरिक्त "भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के अधीन" लाभ का कोई पद धारण करता है।

VISION IAS

लाभ का पद क्या है?

- **अनुच्छेद 102(1)(a) एवं 191(1)(a)** में लाभ के पद के आधार पर निरर्हताओं का उल्लेख है, किंतु लाभ के पद को न तो संविधान में परिभाषित किया गया है और न ही जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में।
- ***प्रद्युत बारदोलाई बनाम स्वप्न रॉय वाद* (2001) में उच्चतम न्यायालय ने** लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया:
  - क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है;
  - क्या पदस्थ व्यक्ति को पदच्युत अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास है;
  - क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है;
  - पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या हैं एवं क्या वह ये कार्य सरकार के लिए कर रहा है; तथा
  - क्या किए जा रहे इन कार्यों के निष्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है।
- कालांतर में, ***जया बच्चन बनाम भारत संघ वाद*** में उच्चतम न्यायालय ने इसे अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया- **"ऐसा पद जो किसी लाभ को प्राप्त करने अथवा मौद्रिक लाभ प्रदान करने में सक्षम हो।"** इस प्रकार "लाभ के पद" वाले मामले में लाभ का वास्तव में 'प्राप्त होना' नहीं अपितु लाभ 'प्राप्ति की संभावना' एक निर्णायक कारक है।

संसदीय सचिव

- यह संसद का एक सदस्य होता है जो वरिष्ठ मंत्रियों को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करता है।
- इनका **दर्जा सामान्यत: राज्यमंत्री का** होता है और इन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी राज्यमंत्री के समान होती हैं। उन्हें एक सरकारी विभाग का दायित्व दिया जाता है।
- मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, राजस्थान, पंजाब, गोवा आदि कुछ अन्य राज्य हैं जहाँ विधायकों को सरकार द्वारा संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया है।

लाभ के पदों पर संयुक्त समिति

- इसमें 15 सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों से लिए जाते हैं।
- यह केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समितियों की संरचना व प्रकृति की जांच करती है तथा अनुशंसा करती है कि किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए अर्ह अथवा अनर्ह माना जाए।
- **इसने लाभ के पद को निम्न प्रकार परिभाषित किया है:**
  - यदि पदस्थ व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भत्ते के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक जैसे उपस्थिति शुल्क, मानदेय, वेतन आदि प्राप्त होता है।
  - यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है;
    - कार्यकारी, विधायी अथवा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है; अथवा
    - उसे निधियों के वितरण, भूमि के आवंटन, लाइसेंस जारी करने आदि की शक्तियाँ प्राप्त हैं; अथवा
    - वह नियुक्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने की शक्ति रखता है।
- यदि वह निकाय जिसमें व्यक्ति को पद प्राप्त है, किसी प्रकार के संरक्षण (patronage) के माध्यम से प्रभाव अथवा शक्तियों का प्रयोग करता है।

2.1.2. परिसीमन की दुविधा

(The Dilemma of Delimitation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा दोनों सदनों में सीटों में वृद्धि पर अधिरोपित सीमा को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। जिसे 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया। 2026 में ये सीमा समाप्त हो जाएगी जिसके पश्चात दोनों सदनों में सीटों की संख्या में वृद्धि होने की आशा है।

VISION IAS

- **परिसीमन** का अर्थ है उस कार्य या प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक वैधानिक निकाय द्वारा किसी देश या क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है।
- हालाँकि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया राज्य संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा निर्धारित की जाती है।
- 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, वहां परिसीमन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

पृष्ठभूमि

- परिसीमन संबंधी सभी पहलुओं और प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। इस शक्ति का उपयोग परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952, 1962, 1972 और 2002 के द्वारा 4 बार किया गया है।
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा लोक सभा में राज्यों को आवंटित सीटों एवं प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक अपरिवर्तनीय घोषित किया गया था।
- राज्यों से संबंधित एक मुद्दा यह था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेंगे उस राज्य की लोकसभा में सीटें कम हो जाएगी। इसलिए इस संशोधन द्वारा राज्यों की इस चिंता को महत्व दिया गया।
- 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा पुनः समायोजन पर रोक को अगले 25 वर्षों अर्थात 2026 तक बढ़ा दिया गया था। इस विस्तार के पीछे मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना था।
- इसके साथ-साथ, सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन और पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया है।
- 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इसके द्वारा सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

परिसीमन आयोग

- आयोग एक शक्तिशाली निकाय है, जिसके आदेशों में कानून के समान शक्ति निहित है। इसके आदेशों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- इस आयोग में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्चतम न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- इसके आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किये जाने की तिथि से लागू हो जाते हैं।
- इसके आदेशों की प्रतियां लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं, हालाँकि उनके द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

परिसीमन के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 81 के खंड (2)** के तहत यह प्रावधान है कि लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा कि सीटों की संख्या एवं राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो।
- **उपखंड (3)** के तहत अनुच्छेद 81 के प्रयोजनों हेतु "जनसंख्या" पद को परिभाषित किया है। इसके अनुसार जनसंख्या का अर्थ है 'पिछली जनगणना (जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं) में नियत की गई जनसंख्या'।
- अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों के लिए लोक सभा में सीटों के पुनः समायोजन तथा सभी राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान करता है।

VISION IAS

- अनुच्छेद 170 के तहत विधान सभाओं के संघटन हेतु प्रावधान वर्णित किये गये हैं।
- प्रत्येक राज्य को इस प्रकार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या एवं उसके लिए आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में एक समान हो।
- इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान द्वारा प्रतिनिधित्व की एकरूपता दो रूपों में सुनिश्चित की जाती है-
  - विभिन्न राज्यों के मध्य
  - एक ही राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य
- प्रत्येक जनगणना के पश्चात्, निम्नलिखित का पुनः समायोजन किया जाएगा-
  - लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन
  - प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन

2.1.3. विधायिका सदस्यों के विशेषाधिकार

(Privilege of Legislators)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने अपनी "विशेषाधिकार समितियों" की सिफारिशों के आधार पर दो पत्रकारों को एक वर्ष के कारावास का आदेश दिया है।

विशेषाधिकार समिति:

- यह एक स्थायी समिति है जिसका संसद/राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन में गठन होता है।
- लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 जबकि राज्य सभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं जिनको क्रमशः अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसका प्रमुख कार्य, सदन अथवा सदन के अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गये सम्पूर्ण सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकारों के हनन से सम्बंधित प्रश्नों की जाँच करना है।
- यह विभिन्न तथ्यों के सन्दर्भ में विषय की जाँच करके अपनी अनुशंसाएँ सदन को सौंपती है।

विशेषाधिकार क्या हैं?

संविधान द्वारा संसद/राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों, उनकी समितियों तथा उनके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ तथा सुरक्षा प्रदान की गई हैं।

इन्हें दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा गया है:

1. **सामूहिक विशेषाधिकार** का प्रयोग प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इनमें, रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन की कार्यवाही से बाहर करना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों/बाहरी व्यक्तियों को दंडित करना इत्यादि शामिल हैं।
2. **व्यक्तिगत विशेषाधिकार** सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणार्थ सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्र के दौरान न्यायिक जाँच से छूट, सत्र से 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट इत्यादि।

विशेषाधिकारों के स्रोत: मूलतः इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से लिया गया है। सभी **विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई कानून नहीं** है। ये पांच विभिन्न स्रोतों पर आधारित हैं: संवैधानिक प्रावधान, संसद के विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय सम्मेलन और न्यायिक निर्वचन।

अनुच्छेद 105 - संसद के सदनों और उसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि

- संसद में भाषण/अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- संसद में या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गये किसी मत अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन किसी प्रकाशन के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- अन्य मामलों में, संसद के प्रत्येक सदन के अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति
- **अनुच्छेद 194**, विधान सभा और उसके सदस्यों एवं समितियों को उपरोक्त वर्णित समान शक्तियां, विशेषाधिकार आदि प्रदान करता है।

VISION IAS

विशेषाधिकारों का उल्लंघन: विशेषाधिकारों के उल्लंघन और उसके लिए सजा के निर्धारण हेतु स्पष्ट नियमों का अभाव है। कर्नाटक विशेषाधिकार पैनल के अनुसार, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति अथवा कोई भी ऐसा निन्दा-लेख छापना या प्रकाशित करना विशेषाधिकार उल्लंघन के अंतर्गत आ सकता है, जो सदन, इसकी समितियों या इसके सदस्यों के चरित्र या संसद सदस्य के नाते उनके आचरण के सन्दर्भ में अपमानजनक है।

2.1.4. संसदीय सत्र

(Parliamentary Sessions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद के शीतकालीन सत्र में दो सप्ताह का विलंब हुआ है। इसने संसदीय कार्य प्रणाली के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

पृष्ठभूमि

- परंपरा के अनुसार, एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का आयोजन किया जाता है: **वर्ष के आरम्भ में आयोजित होने वाला बजट सत्र, तीन सप्ताह का मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।**
- प्रत्येक सत्र के आयोजन की तिथियों को कम से कम 15 दिन पूर्व घोषित किया जाता है ताकि सदस्यों को अपने प्रश्न प्रस्तुत करने और इन पर संसदीय कार्यवाहियों हेतु नोटिस देने का समय मिल सके।
- संविधान में विशिष्ट रूप से ऐसा कोई उपबंध नहीं किया गया है जिसमें बताया गया हो कि संसद की बैठक कब या कितने दिनों में होनी चाहिए। हालांकि, संविधान के **अनुच्छेद 85** में उपबंध है कि **दो संसदीय सत्रों के मध्य छः महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए**। यही राज्य विधायिकाओं पर भी लागू होता है।

अनुच्छेद 85 के अनुसार

राष्ट्रपति समय-समय पर-

- सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।
- लोकसभा का विघटन कर सकेगा।

- राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हुए संसद के सत्र को "ऐसे समय और स्थान पर आहूत कर सकता है जिसे वह उचित समझे"। अतः, संसद के सत्र को आहूत करना सरकार पर निर्भर होता है।
- व्यवधानों के कारण होने वाले स्थगनों सहित, विभिन्न कारणों के चलते संसद की बैठकें 120 दिन प्रतिवर्ष से घटकर 65-70 दिन प्रतिवर्ष हो गयी हैं।
- राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली भी एक गंभीर स्थिति प्रदर्शित करती है। पिछले पाँच वर्षों में 20 विधानसभाओं के आँकड़े इंगित करते हैं कि उनकी एक वर्ष में औसतन मात्र 29 दिनों के लिए ही बैठकें हुईं।

2.1.5 विभागीय स्थायी समितियां

(Departmentally Related Standing Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह सुझाव दिया जा रहा है की विभागीय स्थायी समितियों (DRSCs) को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, ताकि ये समितियां अपने जाँच संबंधी दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें।

DRSCs से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- सभी विधेयकों को समितियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसे GST बिल को किसी भी DRSC में प्रस्तुत किये बिना पारित कर दिया गया था।
- समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं।
- इनकी पहुँच केवल बाह्य विशेषज्ञों तक ही होती है, लेकिन इनमें कोई आंतरिक विशेषज्ञता विद्यमान नहीं होती है।
- यह मंत्रालय के दैनिक प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करती है।

VISION IAS

DRSCs क्या हैं?

- इन्हें भारत की **मिनी पार्लियामेंट (Mini Parliaments)** भी कहा जाता है। **1993** में पहली बार 17 DRSCs का गठन किया गया था।
- वर्तमान में **24 DRCS** कार्यरत हैं तथा इनमें से प्रत्येक DRCS में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं।
- तदर्थ समितियों के विपरीत, ये स्थायी समितियां **स्थायी प्रकृति** की होती हैं।
- इनके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं।
  - उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक की जाँच करना।
  - मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना एवं सरकार द्वारा किये गए इनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
  - विभागों से संबंधित बजटीय परिव्यय (budgetary outlays) की जाँच करना।
- सदन के अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा इन समितियों के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं।

2.1.6. निजी विधेयक

(Private Member Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के शीतकालीन सत्र में एक निजी विधेयक (*प्राइवेट मेंबर बिल*) प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य सांसदों द्वारा अपने कार्यकाल के अंत में अपनी परिसंपत्तियों की अनिवार्य रूप से घोषणा करना है।

निजी विधेयक

- मंत्रियों तथा सभापतियों के अतिरिक्त सभी सांसद निजी सदस्य कहलाते हैं।
- निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी विधेयक कहलाता है, जो सरकारी विधेयकों से अलग होते हैं, जिन्हें मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- सदन में इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- सदन में ऐसे प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।
- संसदीय सत्र के दौरान, प्रत्येक शुक्रवार को संसदीय कार्यवाही के आखिरी दो या ढाई घंटे का समय निजी विधेयकों तथा निजी सदस्यों द्वारा उठाये गए अन्य मुद्दों पर पर चर्चा करने के लिए आरक्षित होता है।

निजी विधेयकों से संबंधित सामान्य मुद्दे

- संसद के इतिहास में अभी तक मात्र 14 निजी सदस्य विधेयकों को पारित किया गया है और अंतिम निजी विधेयक 1970 में पारित किया गया था।
- 2014 में, राज्य सभा द्वारा पारित किया गया **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक (*राइट्स ऑफ़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल*)**, 47 वर्षों में ऊपरी सदन में पारित होने वाला पहला निजी विधेयक था। लेकिन इसे काफी बदलावों के साथ पुनः लोक सभा में पेश किया गया और वर्तमान में यह संसद की स्थायी समिति के समक्ष लंबित है।
- 15वीं लोक सभा में 372 निजी विधेयक पेश किये गए लेकिन उनमें से केवल 11 विधेयकों पर ही चर्चा हुई है। इसका अर्थ है कि 96% निजी विधेयक सदन में बिना किसी चर्चा के ही समाप्त हो गए।
- इस प्रकार, निजी विधेयकों के साथ दोहरी समस्या है। पहला उन पर कोई बहस न किया जाना और दूसरा उनका पारित न होना।

VISION IAS

2.1.7. लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता

(Neutrality of Speaker)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं, जब अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य

लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को 'प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' में निर्धारित किया गया है। इन नियमों के निर्माण हेतु संसद के प्रत्येक सदन को **संविधान के अनुच्छेद 208** के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है।

- जब भी वह सदन में उपस्थित होता है, सदन की अध्यक्षता करता है। परन्तु उस स्थिति में नहीं, जब उसे पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन होता है।
- गणपूर्ति (कोरम) न होने की स्थिति में वह सदन को स्थगित कर सकता है।
- अध्यक्ष, किसी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- यह निर्धारित करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और धन विधेयक को प्रमाणित करना।
- सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करना।
- किसी सदस्य द्वारा संसदीय नियम के विरुद्ध किए गए व्यवहार का दोषी पाए जाने पर, उसे सदन से निष्कासित करने का निर्देश देना और यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा एवं सदन की कार्यवाहियों में निरंतर बाधा उत्पन्न करता है, उसे निलंबन हेतु नामित करना।

लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता और स्वतंत्रता

- लोकसभा अध्यक्ष के **वेतन और भत्ते** भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष को **कार्यकाल की सुरक्षा** प्रदान की जाती है और वह सदन के भंग होने के पश्चात् भी अपने पद पर बना रहता है अर्थात जब तक नया अध्यक्ष न चुन लिया जाए या उसे सदन के पूर्ण बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक) द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा न हटा दिया जाए।
- **सदन में** अध्यक्ष के कार्य एवं **आचरण के संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती**, जब तक इससे संबंधित कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए।
- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम उसे "अवशिष्ट शक्तियां" प्रदान करते हैं।
- उसे नियमों की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्राप्त होता है और उसके कार्य संबधी विनियम किसी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- वह विधेयकों, प्रस्तावों पर प्रथमतः मतदान नहीं करता है। परन्तु मतों के बराबर होने की स्थिति में वह **निर्णायक मत** देता है।

2.1.8. सचेतक (व्हिप)

(WHIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों पर व्हिप जारी किए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है।

सचेतक (व्हिप) क्या है?

- प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना सचेतक (व्हिप) होता है, जिसे पार्टी द्वारा सहायक सदन नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- अपनी पार्टी के सदस्यों की अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में उनका समर्थन प्राप्त करना, उसका उत्तरदायित्व होता है।

VISION IAS

- सचेतक संसद में उनके व्यवहार का विनियमन एवं निगरानी करता है।
- वह पार्टी के नेता का निर्णय सदस्यों को एवं पार्टी के सदस्यों की राय पार्टी के नेता तक पहुंचाता है।
- सदस्यों से सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अनुपालन में विफल रहने पर पार्टी की सदस्यता हेतु अयोग्यता या दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत पार्टी से निष्कासन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाईयाँ की जा सकती हैं।

दल-बदल कानून

- दल-बदल कानून संसद द्वारा 1985 में पारित किया गया था।
- **52वें संविधान संशोधन** द्वारा संविधान में **दसवीं अनुसूची** जोड़ी गई। इस अनुसूची के तहत सांसदों तथा विधायकों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया एवं आधारों को वर्णित किया गया है।
- एक सांसद या विधायक सदस्यता के लिए निरर्हित होगा यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है (दल के सचेतक के विपरीत)।
- कोई निर्दलीय सदस्य निरर्हित होगा यदि वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है।
- नामनिर्देशित सदस्य, जो किसी दल का सदस्य नहीं थे, छह माह के अंदर किसी दल की सदस्यता धारण कर सकते हैं: इस अवधि के पश्चात्, उन्हें किसी दल के सदस्य या निर्दलीय सदस्य के रूप में माना जाता है।
- **दल-बदल कानून के कुछ अपवाद भी हैं-**
  - यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सभापति के रूप में निर्वाचित होने से पूर्व अपने दल की सदस्यता त्याग दे और इस पद से त्यागपत्र देने के पश्चात् अपने दल की सदस्यता पुनः प्राप्त करे।
  - किसी दल का दूसरे दल में विलय हो सकता है यदि इस दल के कम से कम दो तिहाई विधायक विलय के पक्ष में मत देते हैं।
- प्रारंभ में यह कानून दलों की टूट की अनुमति देता था किंतु अब इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

- भारत में सचेतक के पद का उल्लेख न तो संविधान में, न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में किया गया है।
- यह संसदीय सरकार के कन्वेंशन पर आधारित है। भारत में सचेतक की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से ली गई थी।

18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

- यह जनवरी 2018 में आयोजित किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत संसदीय मामलों के मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन करना है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 का खण्ड (3) (भारत सरकार कार्य आचरण) प्रावधान करता है कि 'राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में इन कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।'

सचेतक का महत्व

- ऐसा संभव है कि संसद के सभी सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्न हों, चाहे उनकी संबद्धता किसी भी पार्टी से हो (यहाँ तक कि ये दृष्टिकोण संबंधित पार्टी के नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकते हैं)। ऐसे मामले में, वह मतदान के समय पार्टी के दृष्टिकोण का उल्लंघन कर सकता/सकती है।

2.1.9.जनजातीय उप योजना

(Tribal Sub Plan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC) ने जनजातीय उप योजना से संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

VISION IAS

अनुसूचित जनजाति

- **अनुच्छेद 366(25)** अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजातीय समुदायों के भाग अथवा उनके अन्दर के समूहों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के **अनुच्छेद 342** के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है।
- **अनुच्छेद 342-** राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकता है तथा उन्हें इस संविधान के प्रयोजनों हेतु, उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।

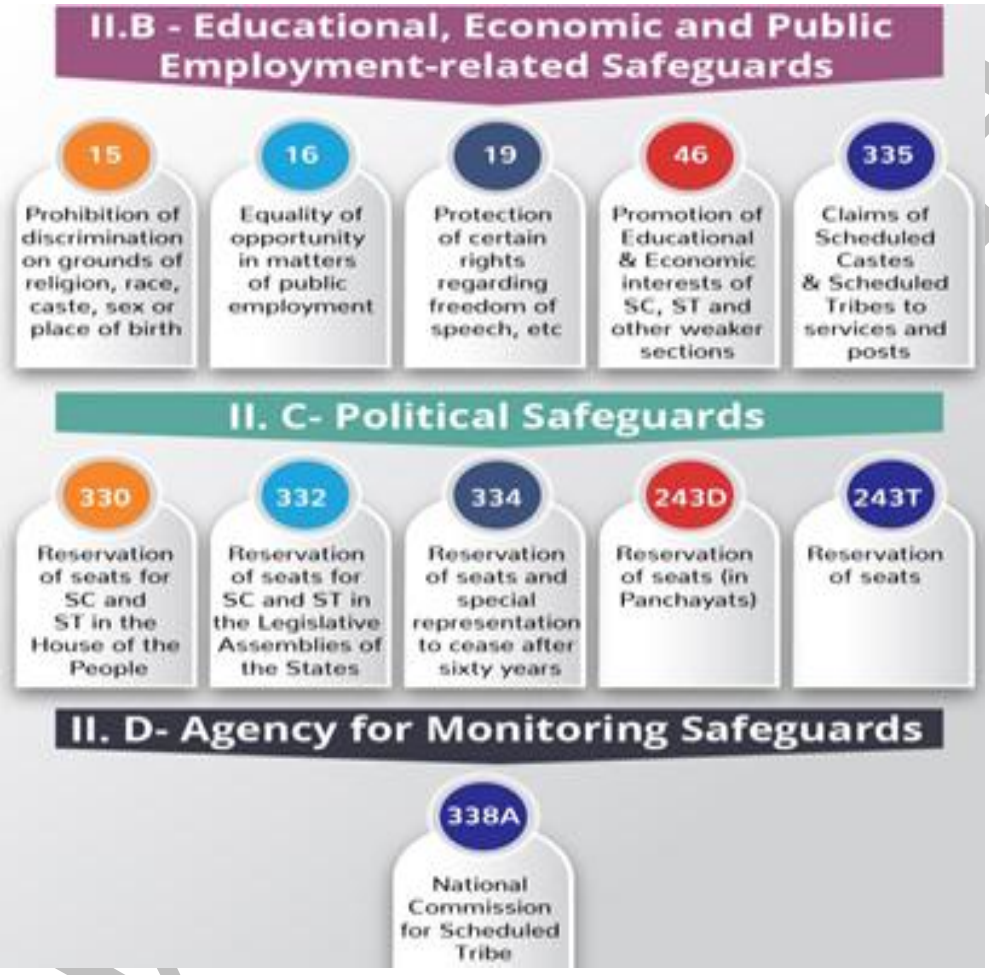

पृष्ठभूमि:

- 1972 में, सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु एक व्यापक नीति का निर्माण किया गया था। इस नीति के तहत 1976 में (5वीं पंचवर्षीय योजना), जनजातीय उप योजना (TSP) का सुझाव दिया गया था।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास संबंधी हस्तक्षेप हेतु पूर्व का दृष्टिकोण, केवल सरकार द्वारा किये जाने वाले विभिन्न हस्तक्षेपों से मिलने वाले "आकस्मिक" लाभ पर निर्भर था। TSP को **प्रत्यक्ष 'नीति- संचालित' लाभों** को सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को समय-समय पर TSP के निर्माण और कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। TSP के कार्यान्वयन हेतु 2014 में नवीनतम संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

जनजातियों से संबंधित अन्य कार्यक्रम/योजनाएं

- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के मध्य शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।
- जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन)।
- लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम।
- विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम।

TSP के विषय में :

- यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की **वार्षिक योजना का अंग है** तथा TSP के अंतर्गत प्रदत्त कोष प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।
- TSP कोष में **अनुच्छेद 275 (i)** के तहत भारत की **संचित निधि से** राशि आवंटित की जाती है तथा यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही है।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की शोषण से सुरक्षा सहित सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के संदर्भ में, उनके व जन सामान्य के मध्य **के अंतर को समयबद्ध ढंग से समाप्त करना** है।
- यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की समग्र योजना से उत्पन्न होने वाले लाभ के **अतिरिक्त भी लाभ प्रदान करता है**। परन्तु यह 60% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं होती है।

TSP के उद्देश्य:

- जनजातीय समुदाय की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि करके मानव संसाधन विकास करना।
- जनजातीय क्षेत्रों में आवास सहित आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त रूप से कमी लाना, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और आय अर्जित करने हेतु अवसर प्रदान करना।
- अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता में, अधिकारों एवं सरकार समर्थित अनुदानों की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान बेहतर सुविधाओं में वृद्धि करना।
- शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण।

अन्य संबंधित तथ्य :

- **अनुसूचित जाति उप-योजना** एक अम्ब्रेला रणनीति है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों को लाभान्वित करने हेतु विकास के सभी सामान्य क्षेत्रों से वित्तीय एवं भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। इस रणनीति के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए संसाधनों के निर्धारण के माध्यम से वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विशेष घटक योजना (SCP) का निर्माण एवं कार्यान्वयन करना आवश्यक है।
- वर्तमान में अनुसूचित जाति की पर्याप्त जनसंख्या वाले 27 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति उप-योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

2.1.10. आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी

(Hindi as official language)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय संविधान में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने की मांग की गई है।
- इसके अतिरिक्त, संविधान की आठवीं अनुसूची में तुलू तथा राजस्थानी सहित 38 अन्य भाषाओं को सम्मिलित करने की भी मांग की गई है।

VISION IAS

संविधान की आठवीं अनुसूची

- इसके अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - असमिया , बांग्ला, गुजराती, हिंदी ,कन्नड़ ,कश्मीरी ,मलयालम, मराठी, उड़िया ,पंजाबी, संस्कृत, तमिल
  - तेलुगू, ,उर्दू ; सिन्धी (21वें संशोधन 1972 द्वारा जोड़ा गया); कोंकणी ,मणिपुरी, नेपाली (71वें संविधान
  - संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया); बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया)।
- इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, परन्तु बाद में किए गए विभिन्न संशोधनों द्वारा इसमें 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया।
- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद **344 (1) और 351** में अन्तर्निहित हैं।

आधिकारिक भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद 120)-**
  - संसद के सभी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे।
  - राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- **विधायिका में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद 210)-**
  - राज्य के विधान मंडल में कार्य राजभाषा या राज्य की भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे। परन्तु सदन का अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- **संघ की राजभाषा (अनुच्छेद 343)-**
  - संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
  - संसद, अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त किए जाने या अंको के देवनागरी स्वरुप के उपयोग हेतु कानून बना सकती है।
  - परिणामस्वरुप, संसद ने संघ के सभी कार्यों के लिये हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा के उपयोग को जारी रखने हेतु **राजभाषा अधिनियम, 1963** को अधिनियमित किया।
- **अनुच्छेद 344:** राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियां।
- **क्षेत्रीय भाषाएं:**
  - राज्य की राजभाषा के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्णय लिया जाएगा **(अनुच्छेद 345)**।
  - संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी (**अनुच्छेद 346)**।
  - किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध **(अनुच्छेद 347)**।
- **उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनुच्छेद 348)**।
  - जब तक संसद इसके संबंध में कोई उपबंध नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी।
  - किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

VISION IAS

- **अनुच्छेद 350 (b) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-**
    - भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह अधिकारी संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिये उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा।
- **अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश-**
    - संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

2.2. संवैधानिक मुद्दे

(Constitutional Issues)

2.2.1. निवारक निरोध

(Preventive Detention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति को, राज्य द्वारा **'गुंडा'** करार देकर तथा सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं को 'अप्रभावी' और 'ज़्यादा समय' लेने वाली बताकर निवारक निरोध के तहत हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ऐसा करना **गैर कानूनी** होगा।

निवारक निरोध के बारे में

इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर संभावित अपराध करने से रोकने के लिए उपयुक्त ट्रायल के बिना गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध के चार प्रमुख आधार हैं:

- राज्य की सुरक्षा
- विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना
- आवश्यक सेवाएं एवं आपूर्ति का रख रखाव तथा रक्षा

निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार बंदी को अनुच्छेद-19 या अनुच्छेद-21 के तहत उपलब्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत निर्मित कानून के तहत हिरासत में लिया गया है तो व्यक्ति को अनुच्छेद-22(3) के तहत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अनुच्छेद 22 (1) और 22(2) के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

2.2.2. अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल

(Separate Trial For Distinct Offences)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि करोड़ों रूपए के चारा घोटाले जैसे सभी मामलों पर अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार "संयुक्त ट्रायल एक अपवाद है तथा मानक व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग ट्रायल होना चाहिए।"

अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा।

2.2.3.राज्य ध्वज संबंधी मुद्दा

(State Flag Issue)

- **कर्नाटक राज्य** द्वारा लाल, सफेद और पीले रंग की पट्टियों से युक्त ध्वज को नए राजकीय ध्वज के रूप में अपनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस ध्वज के मध्य भाग में राज्य का प्रतीक- दो सिरों वाला पौराणिक पक्षी चित्रित है।

VISION IAS

महत्त्वपूर्ण तथ्य-

आधिकारिक रूप से केवल जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना पृथक ध्वज है, जबकि सिक्किम (1967) तथा कर्नाटक (2018)- दो ऐसे राज्य हैं जिनके अनौपचारिक रूप से अपने राजकीय ध्वज हैं।

- 1960 के दशक के मध्य से ही कर्नाटक का लाल एवं पीले रंग का अनौपचारिक राजकीय ध्वज है, जिसे राज्य गठन दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष फहराया जाता है।
- यदि पृथक ध्वज की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, तो जम्मू एवं कश्मीर के पश्चात कर्नाटक पृथक राजकीय ध्वज को अपनाने वाला दूसरा राज्य होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय ने **SR बोम्मई बनाम भारत संघ** वाद में निर्णय दिया था कि **संघवाद** संविधान की एक आधारभूत विशेषता है तथा राज्य अपने क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च है। इसलिए, राज्य ध्वज अनधिकृत नहीं है। हालांकि, जिस प्रकार से राज्य ध्वज को फहराया जाता है, उससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए।

संबंधित प्रावधान

- **अनुच्छेद 51 A**, के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह "संविधान का पालन करे और उसके **आदर्शों**, **संस्थाओं**, **राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान** का आदर करे।"
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम ,1971 (2005 में संशोधित)**
  - इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, संविधान तथा राष्ट्र गान सहित देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को विकृत या अपमानित करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - यह सार्वजानिक स्थलों या अन्य स्थानों पर और साथ ही स्वेच्छा से या अन्यथा, राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर द्वारा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अपमान संबंधी सभी मामलों पर लागू होता है।
- **भारतीय ध्वज संहिता, 2002 एक कानून नहीं है**, बल्कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी **कार्यकारी निर्देशों** का एकीकृत रूप है। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के अनादर पर रोक लगाने वाले व्यवहारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे राष्ट्रीय ध्वज के अनादर से बचा जा सके।

2.2.4. निजता का अधिकार

(Right to Privacy)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ ने **न्यायमूर्ति के.एस.पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए 'निजता के अधिकार' को अनुच्छेद-21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है।

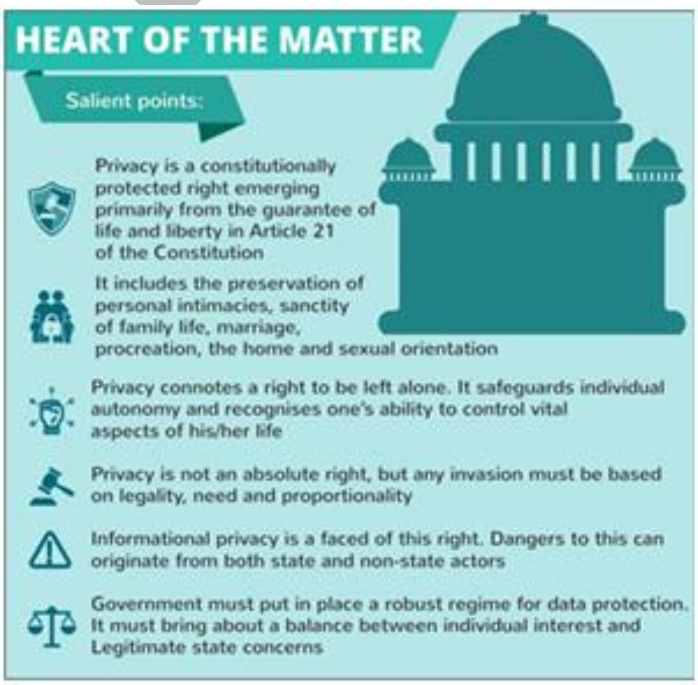

पृष्ठभूमि

- संविधान सभा ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के पश्चात् संविधान में निजता के अधिकार का उल्लेख न करने का फैसला किया।

VISION IAS

- पूर्व में भी 1954 में **एम. पी. शर्मा** (8-न्यायमूर्तियों की खंडपीठ) और 1961 में **खड़क सिंह** (6-न्यायमूर्तियों की खंडपीठ) प्रकरणों में न्यायालय ने माना था कि संविधान के अंतर्गत निजता के अधिकार को संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में न्यायालय ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में अल्पीकरण या दखल देने वाला कोई भी कानून न्यायोचित होना चाहिए, मनमाना नहीं।
- हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2003 भी निजता संबंधी कानूनों पर मौन था।
- अतीत में, द प्रिवेंशन ऑफ़ अनसॉलिसिटेड टेलीफोनिक कॉल एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी बिल, ड्राफ्ट बिल ऑन प्राइवेसी, 2011 सहित विभिन्न विधेयक पेश किए गए हैं। हालांकि, अभी भी निजता के अधिकार के लिए कोई कानून नहीं है।
- निजता संबंधी कानूनों का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.पी.शाह के अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति को निजता पर प्रस्तावित मसौदा विधेयक 2011 के संबंध में सुझाव देना था।
- हाल ही में, डेटा (गोपनीयता और संरक्षण) विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया।

ए.पी.शाह पैनल की अनुशंसाएं

- डेटा संग्रहकर्ताओ द्वारा पालन किए जाने वाले **निजता सम्बन्धी नौ सिद्धांत** - सूचना, चुनाव और सहमति, संग्रह सीमा, प्रयोजन सीमा, पहुंच और सुधार, सूचना का प्रकटीकरण, सुरक्षा, खुलापन, जवाबदेही।
- निजता के अधिकार के सूचीबद्ध **अपवाद** - राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित, अपराधों से निपटना, दूसरों के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का संरक्षण।

2.2.5. राज्य सभा चुनावों में NOTA

(NOTA in Rajya Sabha Poll)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में गुजरात में हुए राज्य सभा के चुनावों (अप्रैल, 2017) के संदर्भ में, राज्य सभा चुनावों में अनुगमित आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के संबंध मे निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए -

- उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)।
- खुली मतपत्र प्रणाली (ओपन बैलट सिस्टम)।

उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)

- जब मतदाता चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं होता है तो वह NOTA के माध्यम से अपना असंतोष दर्ज करा सकता है।
- निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2014 में एक सर्कुलर जारी किया था कि 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में एक विकल्प के रूप में सम्मिलित किए जाने के बाद राज्यसभा के चुनावों में भी NOTA का प्रावधान सम्मिलित किया जायेगा।

राज्यसभा के चुनाव

- राज्य सभा की एक-तिहाई सीटों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में चुनाव आयोजित होते हैं।
- राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के चुनावों में मतदान करते हैं, जिसे **एकल हस्तांतरणीय मत (STV) प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व** कहा जाता है।

VISION IAS

- प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद को श्रेणीबद्ध करता है और यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार के पास पहले से ही पर्याप्त मत हैं या निर्वाचित होने की कोई संभावना नहीं है, तो मत को दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी तरह अगले चरण में भी।
- विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।
- राज्यसभा के चुनाव में, विधायकों को अपने मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले अधिकृत पार्टी एजेंट को दिखाना होता है।

कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ वाद, 2006

- इसमें अगस्त 2003 से प्रभावी जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का संख्या 40) के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी।
- रिट याचिका में खुली मतपत्र प्रणाली को भी चुनौती दी गई थी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, **'गोपनीयता' के सिद्धांत'** का उल्लंघन करती है।

1961 के निर्वाचन संचालन नियमों का नियम 39AA

- यह नियम उल्लिखित करता है कि मतदाता अपना मतपत्र मतपेटी में डालने से पहले अपने राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखा सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग के अनुसार नियम 39 AA "स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मतदाता को केवल अपने दल के अधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र दिखाना है न कि किसी अन्य को। हालांकि, स्वतंत्र विधायकों की स्थिति में, उन्हें अपना मतपत्र किसी को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि, बागी विधायक के लिए अधिकृत प्रतिनिधि कौन होगा इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नियम 39AA में नहीं है।
- कुलदीप नायर बनाम भारत संघ, 2006 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली "खुले मतपत्र" की पद्धति "मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन" के सिद्धांत को पराजित नहीं करती।

2.2.6. हेट स्पीच

(Hate Speech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा गठित **टी.के.विश्वनाथन समिति** ने हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) के सन्दर्भ में कठोर प्रावधान बनाने की अनुशंसा की है।

भारत में इससे संबंधित कानून/ संवैधानिक प्रावधान:

- **संविधान का अनुच्छेद 19** भारत के सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। हालांकि, यह अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार अथवा नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है।

हेट स्पीच

- मानवाधिकार परिषद की **'विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक की रिपोर्ट (Report of the Special Rapporteur on the promotion and**

VISION IAS

protection of the right to freedom of opinion and expression)' में व्यक्त किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है:

- चाइल्ड पोर्नोग्राफी (बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु)।
- हेट स्पीच (प्रभावित समुदायों के अधिकारों की रक्षा हेतु)।
- मानहानि (अनुचित हमलों के विरुद्ध दूसरों के अधिकारों और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु)।
- जनसंहार करने के लिए निर्देश देना और जन उत्तेजना फैलाना (दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु)।
- भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा का समर्थन करना (दूसरों के अधिकारों की रक्षा हेतु जैसे कि जीवन का अधिकार)

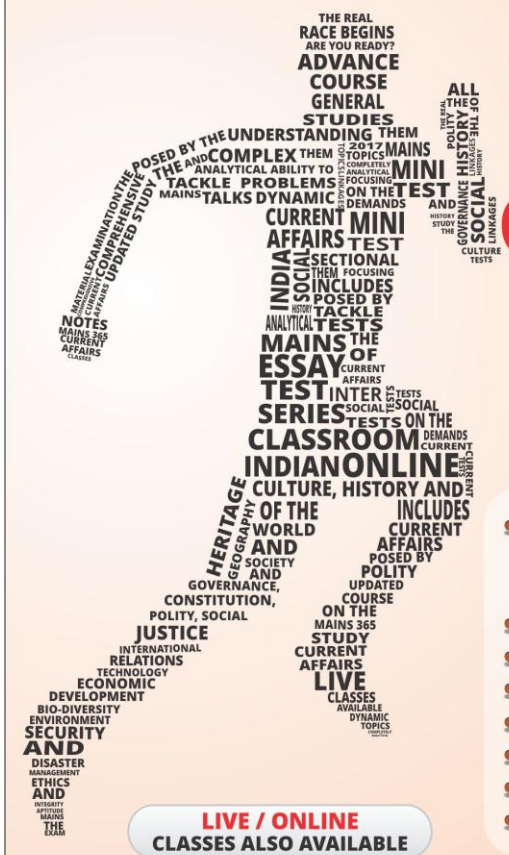

THE REAL RACE BEGINS. ARE YOU READY?

ADVANCED COURSE GENERAL STUDIES MAINS

Starts: 18th June

- Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
- Covers topics which are conceptually challenging.
- Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
- Includes comprehensive, relevant & updated study material.
- Mains 365 Current Affairs Classes
- Sectional Mini Tests
- Includes All India G.S. Mains & Essay Test Series.
- Duration:13-14 Weeks, 5-6 classes a week

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

3. कार्यपालिका

(EXECUTIVE)

3.1. MPLADS

(MPLADS)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने MPLADS निधि के सन्दर्भ में अनुशंसाएँ दी हैं।

संबंधित तथ्य

- लोक सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर कार्य करने हेतु सिफारिश कर सकते हैं।
- राज्य सभा के सदस्य राज्य में एक या एक से अधिक जिलों में कार्य करने की सिफारिश कर सकते हैं, जहां से वह निर्वाचित हुए हैं।
- लोकसभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य, इस योजना के अंतर्गत अपनी रूचि के कार्य के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से एक या एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के बारे में

- MPLAD योजना का प्रारंभ 1993 में किया गया था।
- इसका क्रियान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किया जाता है।
- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद जिला प्रशासन (DA) को 5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष तक का विकास कार्य करने हेतु सुझाव दे सकता है। यह धनराशि व्यपगत नहीं होती तथा इस धनराशि का उसके निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कुल धनराशि में से 15% और 7.5% राशि का उपयोग क्रमशः SC और ST जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा।
- क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय जनसंख्या होने की स्थिति में, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए इस राशि के उपयोग की सिफारिश कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह क्षेत्र उसी राज्य में हो जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है।
- सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर सभी अनुशंसित कार्यों को मंजूरी दी जानी चाहिए।
- DA प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) प्रस्तुत करेगा।

3.2. पूर्व स्वीकृति

(Prior Sanction)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने लोक सेवकों, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को अग्रिम स्वीकृति के बिना जांच से उन्मुक्ति प्रदान करने वाला एक आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया।

पूर्व स्वीकृति की अवधारणा से संबंधित विवाद

सामान्यतः पूर्व स्वीकृति की अवधारणा का उद्देश्य लोक सेवकों को उनकी सार्वजनिक कार्रवाई के लिए कानूनी उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना है। हालाँकि इस सन्दर्भ में मुद्दा यह है कि पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता जांच शुरू करने से पूर्व होनी चाहिए अथवा न्यायालय में अभियोजन से पूर्व।

VISION IAS

- **सरकार का दृष्टिकोण**- पूर्व स्वीकृति, निहित स्वार्थों के आधार पर आरोपित किये गए झूठे आरोपों से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करेगी और इस प्रकार, नीतिगत जड़ता की स्थिति से बचाएगी।
- **उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण** - पूर्व स्वीकृति के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण विवादास्पद रहा है-
  - एम. के. अयप्पा वाद, 2013 और नारायण स्वामी वाद, 2016 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि CrPC की धारा 156(3) के तहत किसी भी पूर्व स्वीकृति के बिना जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
  - जबकि कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके विपरीत विचार व्यक्त किया गया और कहा गया कि जांच के लिए पूर्व स्वीकृति एक निष्पक्ष और प्रभावी जांच में बाधक हो सकती है।
- **वर्तमान कानूनी स्थिति**- वर्तमान में न्यायालयों में अभियोजन से पूर्व CrPC के तहत पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 19 के तहत लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने या आपराधिक कदाचार में संलिप्तता जैसे अपराधों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

3.3. विकास की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु सांसदों के लिए ऐप

(App for MPS to Track Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा **UPAAI (यूनिफाइड प्लानिंग एंड एनालिसिस इंटरफ़ेस) अथवा 'सॉल्यूशन'** नामक ऐप लांच की गयी है। यह सांसदों को उनके राज्यों में हो रहे विकास कार्यों पर निगरानी रखने में सहायता करेगी।

इस ऐप के बारे में अन्य जानकारी

- यह ऐप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अवसंरचना एवं सामाजिक संकेतकों से सम्बंधित आंकड़ों का एक समेकित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी।
- यह सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिलेवार सूचनायें प्रदान करेगी तथा MPLAD निधियों व किसी अन्य केंद्रीय योजना से संबंधित बेहतर निर्णय लेने में उनकी सहायता करेगी।
- इसकी **निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा** की जाएगी और यह डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है।
- अगले चरण में, राज्य योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा और यह जिलाधिकारियों एवं विधायकों को एक ही मंच पर ले आएगी।

3.4. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(Ministry of Housing and Urban Affairs)

- हाल ही में सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (MoHUPA) का विलय कर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की स्थापना की है।
- रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 का प्रशासन अब एक ही मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- यह विलय अक्टूबर 2016 में गठित सचिवों के समूह की अनुशंसा पर किया गया।
- MoUD एवं MoHUPA वर्ष 2004 में दो स्वतंत्र मंत्रालयों के रूप में पृथक किए जाने से पूर्व एक ही इकाई हुआ करते थे।

VISION IAS

सचिवों का समूह

- केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में सचिवों के दस समूहों का गठन किया गया था।
- इनका गठन विशेष क्षेत्रकों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास आदि को ध्यान में रखकर किया गया था ताकि प्रत्येक क्षेत्रक से संबंधित मुद्दों को उठाया जा सके और उन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की अनुशंसा की जा सके।
- इसकी सन्दर्भ शर्तों में जनांकिकीय लाभांश का दोहन, निर्धनता उन्मूलन, सरकार के **'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार'** के दर्शन को आगे बढ़ाना आदि सम्मिलित हैं।

4. भारत में निर्वाचन

(ELECTIONS IN INDIA)

4.1. निर्वाचन आयोग से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to Election Commission)

4.1.1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे

(CEC Appointment Issues)

- संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, CEC और अन्य ECs की नियुक्ति संसद द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार की जाएगी। हालांकि, संसद द्वारा अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है अत: इस संबंध में अभी भी आवश्यक प्रावधानों का अभाव है। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि अभी तक इस सन्दर्भ में आवश्यक कानून का निर्माण क्यों नहीं किया गया है?
- ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का दायित्व पूरी तरह से कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति) पर निर्भर क रता है।

EC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, "निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, से मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गयी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। "

- संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता (विधिक, शैक्षिणक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
- संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों पर सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की निर्णयन संबंधी शक्तियाँ समान होती हैं जिससे दोनों की समान स्थिति की पुष्टि होती है।
- हालांकि संविधान के अनुच्छेद 324(5) का प्रावधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मनमाने ढंग से हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं यह प्रावधान अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाए जाने की प्रक्रिया के विषय में मौन है। इसमें केवल यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें उनके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

4.1.2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A

(Section 29A of RPA)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को राजनीतिक दल बनाने या दलों के पदाधिकारी बनने से वंचित करने के सन्दर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

धारा-29A से संबंधित तथ्य

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत, भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गये हैं।

VISION IAS

1951 के अधिनियम की धारा 8, 8A, 9, 9A, 10 और 11 के आधार पर निर्धारित किया गया है कि आपराधिक कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1988 द्वारा इस धारा को अंतःस्थापित किये जाने से पूर्व, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित होती थी।
- चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी संगठन द्वारा पंजीकृत होने के लिए वैध मतों का 1% प्राप्त करना आवश्यक था।
- गोस्वामी समिति (1990) द्वारा इस धारा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
- वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी संगठन को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने के लिए केवल संविधान (विशेष रूप में प्रस्तावना) के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के आधार पर राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों को वापस ले लिया गया है।

4.1.3. चुनाव चिन्ह

(Election Symbols)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनाव चिन्हों के सम्बन्ध में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में प्रश्न उठाया गया कि क्या राजनीतिक दल उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्हों को चुनावों एवं चुनाव बाद की समयावधियों के दौरान वास्तव में प्रयोग करने हेतु अधिकृत हैं?

चिन्हों का वर्गीकरण:

1. **आरक्षित** चिन्ह : ये किसी मान्यता प्राप्त दल (राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय) के लिए पूरी तरह आरक्षित होते हैं तथा उस दल की ओर से चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को आवंटित किए जाते हैं।
2. **मुक्त चिन्ह** : किसी आरक्षित चिन्ह के अतिरिक्त।

गैर-मान्यता प्राप्त दलों एवं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र में मुक्त चिन्हों की सूची में से अपनी पसंद के 3 चिन्हों को सूचीबद्ध करना होता है।

पृष्ठभूमि

- चुनाव चिन्हों का आवंटन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी **चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968** के अनुसार किया जाता है।
- ये **चिन्ह** दलों के नाम पर आरक्षित किए जा सकते हैं किंतु इनका आवंटन चुनाव **लड़ने वाले प्रत्याशियों** (न कि किसी दल को) को किया जाता है। यह आवंटन केवल अधिसूचित चुनाव की समयावधि के लिए होता है।

राजनीतिक दल को मान्यता देने की कसौटी:

राज्य दल

यदि वह दल:

- किसी विधानसभा चुनावों में हुए मतदान के **वैध मतों का 6%** प्राप्त करता है और विधानसभा की **2 सीटें** जीतता है।
- लोकसभा चुनावों के दौरान उस संबंधित राज्य में हुए मतदान के **वैध मतों का 6%** प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वहाँ से लोक सभा की **1 सीट जीतता है।**
- **विधानसभा चुनावों में 3% सीटें अथवा उस विधानसभा में 3 सीटें** (जो भी अधिक हो) जीतता है।
- यदि लोकसभा चुनावों में उस राज्य को **आवंटित लोकसभा की प्रत्येक 25 में से कम से कम एक सीट जीतता है।**
- किसी राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों के दौरान हुए मतदान के **वैध मतों का 8% प्राप्त करता है** (2011 में जोड़ा गया)।

VISION IAS

राष्ट्रीय दल

- यदि किसी राजनीतिक दल को **4 अथवा अधिक राज्यों में मान्यता मिली है**, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाएगा।
- यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों के दौरान चार या अधिक राज्यों में पड़े **वैध मतों का 6%** प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य से लोकसभा की **4 सीटें जीतता है।**
- **यदि वह लोकसभा की 2% सीटें जीतता है** और उसके प्रत्याशी **3 अलग-अलग राज्यों से** चुनकर आते हैं।
- चुनाव आयोग ने हाल ही में नियमों में संशोधन किया है परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एवं राज्य दल की प्रस्थिति की समीक्षा वर्तमान के पाँच वर्षों की बजाए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाएगी।
- भारत में सात राष्ट्रीय दल हैं - कांग्रेस, भाजपा, बसपा, CPI, CPI-M, NCP तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।

राष्ट्रीय दलों के विशेषाधिकार

- विशिष्ट चिह्न
- लोकसभा चुनावों के दौरान ऑल इंडिया रेडियो व दूरदर्शन जैसे सार्वजनिक प्रसारणकर्ताओं पर नि:शुल्क एयरटाइम की प्राप्ति।
- मतदाता सूची की दो नि:शुल्क प्रतियों की प्राप्ति, साथ ही उनके प्रत्याशियों को अपना नामांकन करते समय केवल एक प्रस्तावक की ही आवश्यकता होती है।
- वे 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में ला सकते हैं जिनके व्यय को व्यक्तिगत प्रत्याशी के चुनाव खर्च के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

4.2. चुनाव सुधार

(Electoral Reforms)

4.2.1. हाइब्रिड इलेक्ट्रोरल सिस्टम

(Hybrid Electoral System)

सुर्खियों में क्यों?

विभिन्न राजनीतिक दलों ने संसदीय पैनल को बताया है कि वर्तमान ***फर्स्ट पास्ट द पोस्ट*** सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम/मिश्रित निर्वाचन प्रणाली क्या है?

- हाइब्रिड सिस्टम/मिश्रित प्रणाली ऐसी निर्वाचन प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें एक से अधिक निर्वाचन प्रणालियों की सकारात्मक विशेषताओं को शामिल करते हुए दो प्रणालियों का एक ही में विलय कर दिया जाता है।
- मिश्रित प्रणाली में, भिन्न-भिन्न सिद्धांतों का उपयोग करने वाली दो निर्वाचन प्रणालियां एक साथ संचालित होती हैं। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए समान मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाता है।
- उनमें से एक प्रणाली बहुलता/बहुमत प्रणाली (या कभी-कभी एक 'अन्य' प्रणाली) है, जिसका सामान्यतः एकल सदस्यीय जिला प्रणाली और दूसरी 'सूची PR प्रणाली'(List PR system) है।
- मिश्रित प्रणाली के दो रूप हैं-
  - जब दो प्रकार के चुनावों का परिणाम PR स्तर पर सीट आवंटन के साथ जुड़ा हुआ होता है (जो बहुसंख्यक / बहुमत /या अन्य जिला सीटों पर क्या हुआ, इस पर निर्भर होता है) और साथ ही किसी भी असंगतता के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है, तो ऐसी प्रणाली को **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMP) प्रणाली कहा जाता है।**
  - जहां निर्वाचनों के दो समुच्चय पृथक और विशिष्ट होते हैं तथा सीट आवंटन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसी प्रणाली को **समानांतर प्रणाली** कहा जाता है।
- जहां MMP प्रणाली का सामान्यत: आनुपातिक परिणाम होता है, वहीं समानांतर प्रणाली द्वारा ऐसे परिणाम की संभावना होती है, जिसकी अनुरूपता बहुलता/बहुमत की आनुपातिकता और PR प्रणाली की आनुपातिकता के मध्य होती है।

VISION IAS

विभिन्न प्रकार की निर्वाचक प्रणालियां

- *फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम*।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
- मिश्रित प्रणालियां, जिन्हें कभी-कभी हाइब्रिड सिस्टम (hybrid system) भी कहा जाता है।

भारत में, हम मतदान की FPTP और साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए, लोकसभा के चुनावों के लिए FPTP और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुसरण करते हैं।

FPTP क्या है?

- एकल सदस्य जिलों और उम्मीदवार-केंद्रित मतदान का उपयोग करने वाली *फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम* बहुलता / बहुमत प्रणाली का सरलतम रूप है।
- मतदाता के समक्ष नामांकित उम्मीदवारों का नाम प्रस्तुत किया जाता है और वह उनमें से एक और केवल एक को चुनकर मत देता है।
- विजयी उम्मीदवार केवल वही व्यक्ति होता है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। सिद्धांतत:, वह दो मतों से भी निर्वाचित हो सकता है, यदि अन्य सभी उम्मीदवारों को केवल एक ही मत मिले।
- इस प्रणाली का UK में *हाउस ऑफ कॉमन्स,* US कांग्रेस के दोनों सदनों और भारत एवं कनाडा में निचले सदन के सदस्यों को चुनने के साथ-साथ ऐसे अन्य स्थानों पर उपयोग किया जाता है जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे।

हमने FPTP क्यों चुना?

देश ने निम्नलिखित कारणों से निर्वाचन प्रणाली के लिए FPTP को चुना -

- **सरलता -** स्वतंत्रता के समय अधिकांश भारतीय आबादी साक्षर नहीं थी और PR प्रणाली की जटिलता को समझने में असमर्थ थी।
- **सुपरिचितता (Familiarity) -** स्वतंत्रता पूर्व से FPTP प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से कई चुनावों का आयोजन किया गया था, जिसने इस प्रक्रिया को देश के जन सामान्य के लिए अधिक सुपरिचित बना दिया था।
- PR प्रणाली दल को सत्ता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जबकि FPTP एक निश्चित विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को चुनती है। स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति को देखते हुए, यह हमारे नेताओं के लिए बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि लोग एक विशेष राजनीतिक दल की अपेक्षा अपने नेताओं से अधिक जुड़े हुए थे।

FPTP और PR के बीच का अंतर

आनुपातिक प्रतिनिधित्व	फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
• डाले गए मतों को विश्वसनीय ढंग से जीती गई सीटों में परिवर्तित करता है। • प्रतिनिधित्व या जिले के आकार के आधार पर अल्पसंख्यक दल को प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करता है। • दलों और हित समूहों के मध्य सत्ता-साझेदारी को अधिक स्पष्ट करता है। • एकल पार्टी का प्रभुत्व मुश्किल होता है। • यह प्रणाली छोटे दलों को प्रतिनिधित्व से बाहर नहीं करती है	• यह डाले गए मतों को संपूर्ण रूप से जीती गई सीटों में परिवर्तित नहीं करता है। • इससे अल्पसंख्यक दलों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है। • विभिन्न समूहों के बीच सत्ता साझेदारी अधिक स्पष्ट नहीं होता है। • यह प्रणाली एक-दलीय सरकारों को जन्म देती है। • यह प्रणाली छोटे दलों को 'उचित' प्रतिनिधित्व से बाहर कर देती है

VISION IAS

4.2.2. चुनावी बॉन्ड

(Electoral Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, सरकार द्वारा बजट 2017-18 में घोषित की गयी **चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) को अधिसूचित** किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को बढ़ाना है।
- चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017-18 के बजट में की गई थी। इसके लिए, वित्त विधेयक, 2017 की धारा 133 से 136 के माध्यम से रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 {धारा 31(3)} एवं जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संशोधन किए गए।

4.2.3. टोटलाइजर मशीनें

(Totalizer Machines)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा चुनावों के पश्चात् गणना हेतु मतों की 'टोटलाइजिंग' किए जाने को नामंज़ूर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल और निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के इस कदम का विरोध किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs)

- EVMs, का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), बंगलौर और इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा किया गया था।
- 1989-90 में विकसित की गयी EVMs का **प्रायोगिक आधार पर** प्रथम प्रयोग नवंबर, 1998 में आयोजित विधानसभाओं के आम चुनावों में किया गया। इन चुनावों में संबंधित विधानसभाओं के 16 निर्वाचन क्षेत्रों यथा - मध्य प्रदेश (5), राजस्थान (5) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (6), में इसका प्रयोग किया गया था।
- उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक नहीं होने की स्थिति में, EVM में सामान्यतः एक **बैलट यूनिट (BU)** तथा एक **कंट्रोल यूनिट (CU)** होती है।
- लेकिन उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक होने पर, एक अन्य BU (अधिकतम 4) को एक CU के साथ जोड़ा जा सकता है।

वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verified Paper Audit Trail)

- यह मतदाताओं को पावती रसीद (**Verified Paper**) के माध्यम से स्वयं यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि उनका मत अभीष्ट पार्टी के पक्ष में गया है।
- 2013 में सर्वप्रथम , नागालैंड के त्वेनसांग जिले में नोक्सन विधानसभा सीट के लिए VVPAT का उपयोग EVMs के साथ किया गया था।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम **2008 में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा** टोटलाइजर मशीन का प्रयोग करने के लिए निर्वाचन नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा की गयी थी।
- **विधि आयोग ने 2015 में जारी अपनी 255वीं रिपोर्ट** में भी इसकी सिफारिश की थी।

टोटलाइजर मशीन

- यह एक इंटरफ़ेस है, जिसमें इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के समूह को जोड़ा जा सकता है। इससे किसी उम्मीदवार के मतदान केंद्र आधारित मतों को उजागर किए बिना, EVMs के समूह के समेकित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- मतदान केंद्र आधारित मतगणना प्रत्येक मतदान केंद्र के मत रुझानों (वोटिंग ट्रेंड्स) को प्रदर्शित करती है। इससे **मतदान से पूर्व या पश्चात्** मतदाताओं को राजनीतिक दलों की धमकी, उत्पीड़न और अत्याचार के लिए खुला छोड़ दिया जाता है (उदाहरण के लिए, अवसंरचना विकास या अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में विलंब)।
- यह मतदान प्रक्रिया में **सुरक्षा के एक अतिरिक्त स्तर** को जोड़ता है। इस प्रकार, यह **गुप्त मतदान के मूलभूत सिद्धांत** को बनाये रखेगा क्योंकि वर्तमान EVMs मतों के मिश्रण की कोई विधि प्रदान नहीं करती हैं। मतों का मिश्रण, मतों के भौतिक मिश्रण के समान है जिन्हें **निर्वाचन नियमावली की नियम संख्या 59A** में अधिदेशित किया गया है। इसके अनुसार, कुछ मामलों में 'पूर्णतः आवश्यक (absolutely necessary)' होने पर मतों का मिश्रण किया जायेगा।
- इसके विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि यह उम्मीदवारों के **मतदान केंद्र आधारित प्रदर्शन को गुप्त** रखता है। जबकि मतदान केंद्र आधारित प्रदर्शन दलों द्वारा **"मतदान केंद्र प्रबंधन"** रणनीतियों (मतदाताओं को जुटाने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर कार्य करना) के निर्माण हेतु आवश्यक है।

4.2.4. पेड न्यूज़ और चुनाव सुधार

(Paid News and Electoral Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च खातों में गलत विवरण दर्ज करने के कारण तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी सदस्यता **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10A** के तहत रद्द की गई है।

RPA का खंड **10A-** निर्वाचन व्ययों के विवरण दाखिल करने में विफल होने पर निरर्हता। यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- अपने निर्वाचन व्ययों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर और इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अपेक्षित रीति के अंतर्गत दायर करने में विफल रहा है तथा
- विफलता का कोई स्पष्ट या न्यायोचित कारण नहीं देता है

तो निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा उसे अनर्ह घोषित कर देगा और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि हेतु निरर्हित होगा।

भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया: PCI):

- **PCI** का गठन एक स्वायत्त, सांविधिक तथा अर्द्धन्यायिक निकाय के रूप में सर्वप्रथम **4 जुलाई 1966** को किया गया था। वर्तमान परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम **1978** के तहत कार्य करती है।

VISION IAS

- अधिनियम के तहत, अपने कार्यों के निष्पादन हेतु इसकी स्वयं की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें इसके द्वारा समाचार-पत्रों से एकत्रित शुल्क, अन्य प्राप्तियां तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों को शामिल किया जाता है।
- परिषद् का निर्णय अंतिम होता है तथा इसे किसी भी न्यायालय में (संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद के तहत रिट के अतिरिक्त) प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- परिषद के महत्वपूर्ण कार्य हैं:
  - समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना,
  - समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों तथा पत्रकारों हेतु एक आचार संहिता का निर्माण करना,
  - यह ऐसी किसी भी गतिविधि को अपने निरीक्षण में रखती है जिसके द्वारा सार्वजनिक हित और महत्व के समाचारों की आपूर्ति एवं प्रसार को सीमित करने की संभावना है।
  - यह स्वयं को उन गतिविधियों के साथ संबद्ध रखती है जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का संकेंद्रण व अन्य पहलू सम्मिलित हैं।

पेड न्यूज़ क्या है?

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार 'नकद भुगतान या किसी प्रतिफल के बदले समाचार रिपोर्ट या लेख के प्रकाशन के माध्यम से किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया जाना पेड न्यूज की श्रेणी में आता है।' अभी तक *पेड न्यूज* को निर्वाचन अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च सीमाओं की अनदेखी करना "गंभीर चुनावी कदाचार" माना जाता है।

चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम:

- 2010 से प्रारंभ करके, चुनाव आयोग ने जिला और राज्य अधिकारियों को *पेड न्यूज* के मामलों की जांच, पहचान और रिपोर्ट करने के संदर्भ में निर्देश जारी किये हैं।
- चुनाव आयोग ने *पेड न्यूज* की जाँच के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MEDIA CERTIFICATION & MONITORING COMMITTEE: MCMC) नियुक्त की है।
- MCMC अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मीडिया में से राजनीतिक विज्ञापन की पहचान एवं जांच करेगी।
- MCMC, व्यय निरीक्षकों द्वारा इसे निर्दिष्ट *पेड न्यूज* संबंधी मामलों पर भी सक्रिय रूप से विचार करेगी।

4.2.5. आय के स्रोत की घोषणा

(Declaring Sources of Income)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ***लोक प्रहरी बनाम भारत संघ*** मामले में दिए गए अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3)

यह ऐसे किसी प्रयास को भ्रष्ट व्यवहार घोषित करता है जिसके अंतर्गत कोई प्रत्याशी अथवा उसका एजेंट अथवा उस प्रत्याशी की सहमति प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति का चुनाव एजेंट धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने अथवा मतदान से दूर रहने की अपील जारी करता है।

पृष्ठभूमि

- **वर्तमान पद्धति:** प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते समय अपनी सम्पतियों से संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करते हैं किंतु उन सम्पतियों के स्रोत से सम्बंधित शपथपत्र नहीं प्रस्तुत करते हैं।
- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय को देश भर के सात लोकसभा सांसदों एवं 98 विधायकों की परिसम्पतियों में हुई बेतहाशा वृद्धि के सन्दर्भ में सूचित किया।

VISION IAS

चुनाव सुधारों से जुड़ी समितियां -

- तारकुंडे समिति – इसे 1974 में जय प्रकाश नारायण द्वारा अनाधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया था
- चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990)
- राज्य द्वारा चुनावी व्यय के वित्तपोषण पर बनी इन्द्रजीत गुप्त समिति (1998)
- चुनावी कानूनों में सुधार पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट (1999)
- संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर एम. एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में बना राष्ट्रीय समीक्षा आयोग (2000-2002)
- प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004)
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)
- चुनाव कानूनों एवं चुनावी सुधारों की समीक्षा हेतु बनी टंखा समिति (2010)

निर्णय की मुख्य बातें

- **आय के स्रोत घोषित करना:** चुनाव लड़ने की अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशियों व उनके सहयोगियों (जीवनसाथी एवं आश्रित) को उनकी आय व परिसम्पतियों के स्रोत का खुलासा करना होगा।
- **अन्य अंशधारिता की घोषणा करना:** प्रत्याशी को अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के किसी सरकारी संविदा में हित अथवा अंशधारिता की घोषणा भी अवश्य करनी होगी।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन:** प्रत्याशियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा आय के स्रोतों की घोषणा न किया जाना **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3)** के अंतर्गत **भ्रष्ट व्यवहार माना जाएगा।**

4.2.6. ICT विजन डॉक्यूमेंट 2025

(ICT vision document 2025)

चुनाव आयोग ने ICT विज़न डॉक्यूमेंट 2025 प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत **चुनावी परिवेश में नवीन प्रौद्योगिकियों** को अपनाने तथा पहले से मौजूद प्रौद्योगिकियों को समेकित करने की रणनीति की व्याख्या की गई है। ICT 2025 के चार प्रमुख घटक हैं:

- इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
- GIS, एनालिटिक्स एंड इंटीग्रेटेड कान्टैक्ट सेंटर
- डेटा सेंटर, IT सिक्यूरिटी, डिजास्टर रिकवरी सहित IT इंफ्रास्ट्रक्चर
- ज्ञान प्रबंधन, क्षमता निर्माण और सोशल मीडिया का उपयोग।

4.2.7. NRIS प्रॉक्सी वोटिंग

(NRIs Proxy voting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने चुनाव कानूनों में संशोधन द्वारा NRIs को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। पूर्व में, प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति केवल सेवा कर्मियों को ही प्राप्त थी।

वर्तमान स्थिति

- 2010 में, जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम में संशोधन द्वारा धारा 20A को जोड़ा गया था ताकि NRIs को एक मतदाता के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होने के योग्य माना जा सके जिसका उल्लेख उनके पासपोर्ट में किया गया है।
- इस संशोधन से पूर्व, केवल "साधारण निवासी" ही अपना वोट दे सकते थे।
- हालांकि, धारा 20A के अनुसार चुनाव के समय NRIs को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य था।

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत प्रवासी भारतीय अब अपने स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।

VISION IAS

विवरण

- **विदेशी मतदाता** को प्रत्येक चुनाव में एक नए नॉमिनी को नियुक्त करना होगा - एक व्यक्ति केवल एक विदेशी मतदाता के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। यह सशस्त्र बलों को प्राप्त सुविधा के विपरीत है जो अपनी ओर से वोट करने के लिए अपने संबंधियों को स्थायी प्रॉक्सी के रूप में नामांकित कर सकते हैं।
- **सेवारत मतदाता** (service voters) डाक के माध्यम से भी अपने वोट दे सकते हैं। NRIs को इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यह प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक रूप से अत्यधिक कठिन अनुभव सिद्ध हो सकता है।
- इसे अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। यदि यह प्रस्ताव संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में सभी NRI "प्रॉक्सी" मत के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

VISION IAS

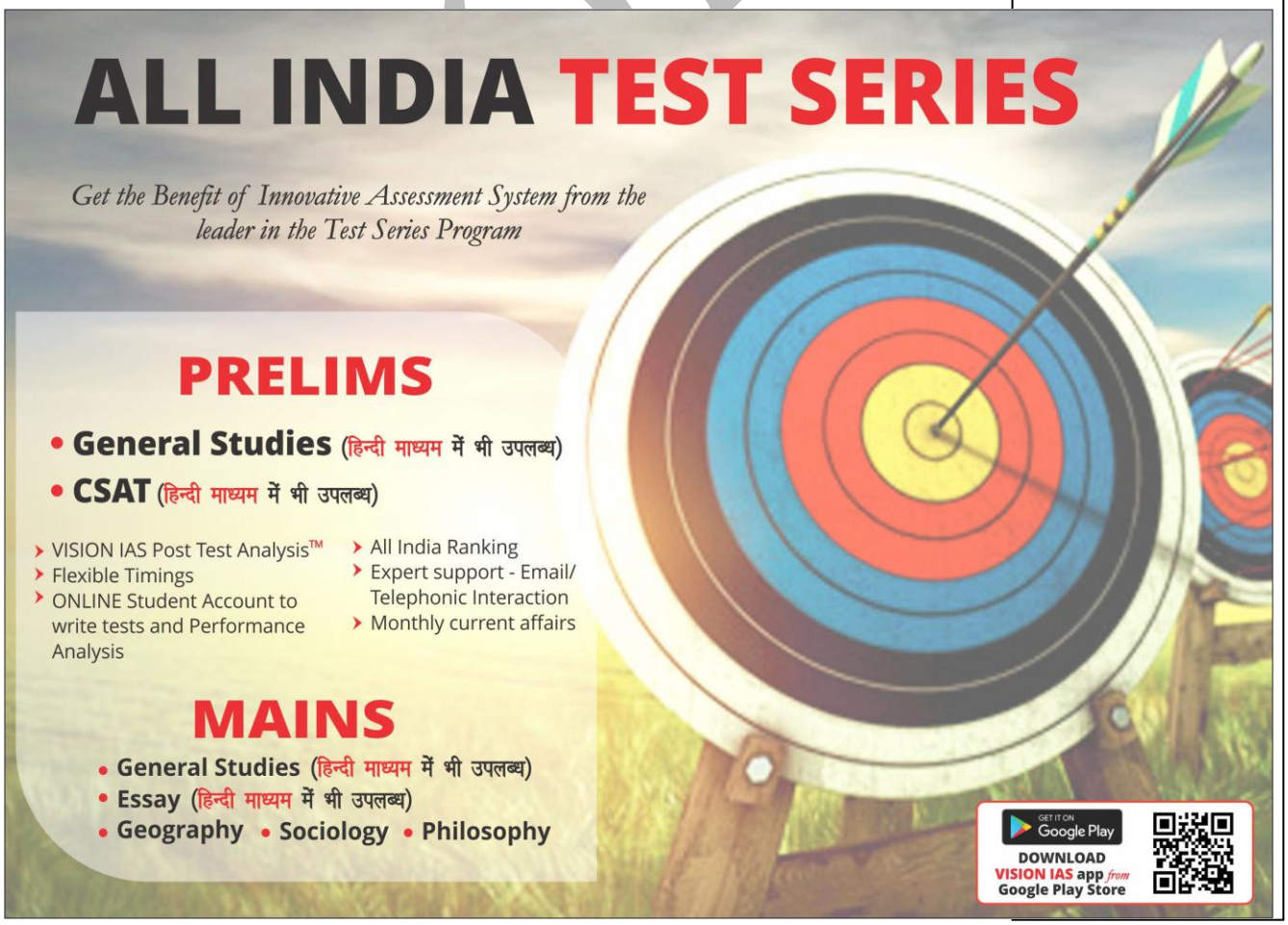

5. न्यायपालिका

(Judiciary)

5.1. न्यायपालिका से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to Judiciary)

5.1.1. अनुच्छेद 142

(Article 142)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राजमार्गों पर शराब प्रतिबंधित करने, बाबरी मस्जिद गिराने से संबंधित दो मामलों पर संयुक्त ट्रायल का आदेश देने आदि जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद-142 के नियमित उपयोग की आलोचना की जा रही है।

अनुच्छेद 142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में **पूर्ण न्याय** करने के लिए आवश्यक हो।

चिंता का कारण

- **असीमित शक्ति** - अनुच्छेद-142 असीमित शक्ति का स्रोत नहीं है और इसका उपयोग संयम के साथ करना चाहिए। इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि यह **न्यायिक अतिसक्रियता** प्रतीत ना हो।
- **असंवैधानिक** - यह **'शक्ति के पृथक्करण'** के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो संविधान के आधारभूत ढाँचे का हिस्सा है।
- **विवेकाधिकारों के बारे में अनिश्चितता-** चूंकि उच्चतम न्यायालय के 31 न्यायाधीश, निर्णय करने के लिए दो या तीन न्यायाधीशों को मिलाकर बनने वाली बेंच के रूप में तेरह डिवीजनों में बैठते हैं और प्रत्येक बेंच एक-दूसरे से स्वतंत्र होती है। अतः विवेकाधिकारों के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

5.1.2. बड़ी खंडपीठों से सम्बंधित मामला

(A Case for Larger Benches)

सुर्खियों में क्यों ?

- गोपनीयता के अधिकार संबंधी मामले की सुनवाई के लिए बनी 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक बार फिर महत्वपूर्ण मामलों के निपटारण हेतु बड़ी संवैधानिक खंडपीठ के गठन के मुद्दे को चर्चा का विषय बना दिया है।

बड़ी खंडपीठ की मांग के कारण:

- **संविधान का अनुच्छेद 145(3):** इसके तहत संविधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी "कानून के सारभूत प्रश्न" के निर्धारण हेतु कम से कम पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए।
- खंडपीठ में अधिक न्यायाधीशों के होने का अर्थ है कि महत्वपूर्ण मामलों पर **विभिन्न दृष्टिकोण**, अधिकाधिक विचारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के साथ ही अधिक गंभीर विश्लेषण होना। इससे निर्णयों की **वैधता** में बढ़ोतरी होगी जिससे न्यायालय के सामने उन्हीं मुद्दों की पुनरावृत्ति कम होगी। उदाहरणस्वरुप, निजता के मुद्दे पर आठ या इससे अधिक बार अलग-अलग मामलों के संदर्भ में सुनवाई की गई है।
- दो या तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के बजाय पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के **निर्णय को पलटना** अधिक कठिन है। इससे जनता का कानून की स्थिरता के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
- कानूनों की स्थिरता **'डॉक्ट्रिन ऑफ़ प्रीसिडेंट'** (Doctrine of precedent) को भी स्थायित्व प्रदान करती है क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय और निचली अदालतें दोनों ही इस उलझन में रही हैं की पूर्व में उच्चतर न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए भिन्न-भिन्न निर्णयों में से किसे आधार माना जाय।

VISION IAS

5.1.3. उच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ

(Appointment to High Court Judiciary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में नियुक्ति से जुड़े कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण दिया है।

विवरण

- सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए दो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर इसे ख़ारिज कर दिया:
  - सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को **अनुच्छेद 217(2)(A)** के अंतर्गत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि इसमें यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि नियुक्त होने वाला व्यक्ति, नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने के समय किसी न्यायिक पद को धारण करता हो।
  - उच्च न्यायालयों के अपर न्यायाधीशों को 2 वर्षों से कम के कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है (**अनुच्छेद 224** के संदर्भ में), भले ही मामलों की विचाराधीनता (PENDENCY) 2 वर्षों से अधिक की हो (जो कि *एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद* में मतभेद और विवाद का विषय था)
- इसके साथ यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्रता से संपन्न किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 217- यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों से सम्बंधित मुद्दों से जुड़े प्रावधान करता है। इसके तहत:

1. उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ... और वह न्यायाधीश, अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
2. एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तथा उसने

   (A) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्षों तक कोई न्यायिक पद धारण न किया हो; अथवा

   (B) कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार एक अधिवक्ता के रूप में कार्य ना किया हो।

अनुच्छेद 224- अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी मामलों से सम्बंधित है।

1. **अपर न्यायाधीश :** किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि या उसमें कार्य लंबित रहने पर राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि (अधिकतम दो वर्षों तक) के लिए उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।
2. **कार्यकारी न्यायाधीश :**जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब राष्ट्रपति सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पुन: नहीं संभाल लेता है।
3. उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति **बासठ वर्ष** की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 224A- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की (अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में) नियुक्ति।

5.1.4. ADR प्रणालियाँ

(ADR Mechanisms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मध्यस्थता तंत्र के संस्थानीकरण की समीक्षा करने एवं सुधारों संबंधी सुझावों पर रिपोर्ट सौंपी गई है।

VISION IAS

- हाल ही में लोकसभा में **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)** विधेयक 2018 किया गया था।
- देश में मध्यस्थता के प्रभावी प्रबंधन हेतु, एक नए संस्थान- **नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)**- की स्थापना प्रस्तावित है।
- समिति ने अनुशंसा की कि 1955 में स्थापित *इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन* (ICDAR) का अधिग्रहण करके इसकी शासन संरचना में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए।

वैकल्पिक विवाद समाधान के साधन

- **पंचाट (आर्बिट्रेशन)** एक प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ तृतीय पक्षकार या पक्षकारों का समूह मामले की मेरिट के अधार पर निर्णय प्रस्तुत करता है।
  - यह प्रक्रिया केवल तब ही आरंभ की जा सकती है जब विवाद के प्रकट होने से पूर्व ही दोनों पक्षों के मध्य एक वैध मध्यस्थता समझौता किया गया हो।
- **मध्यस्थता (मीडिएशन)** का लक्ष्य विवादित पक्षों को आपसी सहमति के माध्यम से समाधान तक पहुँचने में सहायता करना है।
  - बीच-बचाव की प्रक्रिया का निरीक्षण एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष अर्थात् एक मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। मध्यस्थ का प्राधिकार दोनों पक्षों की आपसी सहमति में निहित होता है।

- ICADR एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय केन्द्रों का वित्तपोषण पूर्णतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- इसे कानूनी मामलों के विभाग द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- ICADR की अध्यक्षता विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों के अतिरिक्त भार को कम करने हेतु विवादों के त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) को लोकप्रिय बनाना और इसका प्रसार करना है।

- **समाधान (कन्सिलिएशन)** एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विवादों का समाधान समझौते या स्वैच्छिक अनुबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है।
  - मध्यस्थता के विपरीत, सुलह की प्रक्रिया में बाध्यकारी निर्णय नहीं दिए जाते हैं। दोनों पक्ष इस प्रक्रिया से प्राप्त निर्णय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- **मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015** के तहत विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु भारत को सुदृढ़ क़ानूनी ढांचे और ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस वाले, निवेशकों के अनुकूल राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने वाले विभिन्न तरीकों की परिकल्पना की गयी है।

- भारत के संविधान का **अनुच्छेद 39A** प्रावधान करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
- **अनुच्छेद 14 और 22(1)** भी राज्य हेतु विधि के समक्ष समता सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ करने वाले एक विधिक तंत्र को अनिवार्य बनाते हैं।

- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)**- इसका गठन **विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987** के तहत 5 दिसम्बर 1995 को किया गया। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने और विवादों के सौहार्द्रपूर्ण निपटान हेतु **लोक अदालतों** का आयोजन करना है। यह पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को **दिशा-निर्देश जारी** करता है।
- **ग्राम न्यायालय-** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक प्रणाली की तीव्र और सुगम पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत भारत में **मोबाइल विलेज कोर्ट्स** की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से ग्राम न्यायालय की स्थापना करेगी।

VISION IAS

5.1.5. न्यायाधिकरण

(Tribunals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विधि आयोग ने अपनी 272वीं रिपोर्ट में, देश में न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

न्यायाधिकरण क्या हैं?

- 'न्यायाधिकरण' एक **प्रशासनिक निकाय** है, जिसे **अर्द्ध-न्यायिक कर्तव्यों** का निर्वहन करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है।
- एक **प्रशासनिक न्यायाधिकरण** न तो एक न्यायालय होता है और न ही एक कार्यकारी निकाय, अपितु यह दोनों के बीच की एक व्यवस्था है।
- न्यायाधिकरण **न्यायपालिका के बोझ को कम करने हेतु** एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
- न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं अथवा उन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं जिसके तहत न्यायाधिकरण स्थापित किया गया हो।

भारत में न्यायाधिकरण

- **स्वर्ण सिंह समिति** की अनुशंसा पर 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323-A और 323-B को अंतःस्थापित किया गया था।
  - **अनुच्छेद 323A** प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
  - **अनुच्छेद 323B** अन्य मामलों हेतु न्यायाधिकरणों से संबंधित है।
- **प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-** यह अधिनियम लोक सेवाओं में नियुक्त किसी व्यक्ति की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के लिए प्रशासकीय न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयन की शक्ति प्रदान करता है।
- चंद्र कुमार वाद, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों पर आरोपित निर्बंधनों को असंवैधानिक मानते हुए निर्णय दिया कि CAT के निर्णयों के विरुद्ध अपील संबंधित उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच में की जाएगी।

5.2. सुधार

(Reforms)

5.2.1. टेली-लॉ इनिशिएटिव

(Tele-Law Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े समुदायों और नागरिकों के लिए कानूनी सहायता आसानी से सुलभ कराने हेतु, भारत सरकार ने 11 जून, 2017 को 'टेली-लॉ' पायलट प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया।

विवरण

इस पहल हेतु विधि और न्याय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से समस्त भारत में पंचायत स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

- परियोजना के पहले चरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 CSC के माध्यम से 'टेली-लॉ' योजना का परीक्षण किया जाएगा ताकि चुनौतियों को समझा जा सके और समस्त भारत में लागू करने से पहले आवश्यक सुधार किए जा सकें।
- 'टेली-लॉ' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो CSC नेटवर्क में उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

- कानूनी सहायता पर काम कर रहे लॉ स्कूल क्लीनिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, स्वैच्छिक सेवा प्रदाताओं और गैर-सरकारी संगठनों को CSC के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। इससे हाशिए पर स्थित लोगों तक न्याय की पहुंच मजबूत हो सकेगी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) भी इस कार्य हेतु राज्य की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल प्रदान करेगा।
- एक पूर्ण रूप से क्रियाशील निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली भी तैयार की जा रही है जो कानूनी सलाह की गुणवत्ता का आकलन करने में सहायता करेगी।
- प्रत्येक CSC के अंतर्गत एक पैरा लीगल वालंटियर (PLV) की सेवा ली जाएगी, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होगा।

पैरा लीगल वालंटियर (Para Legal Volunteer)

- ये ग्रामीणों के लिए संपर्क का प्रथम बिंदु होंगे, कानूनी मुद्दों को समझने में ग्रामीणों की मदद करेंगे, वकील द्वारा दी गई सलाह को समझाएंगे और आवश्यक कार्रवाई में सहायता करेंगे।
- योजना के तहत महिला PLV को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

5.2.2. प्रो-बोनो लीगल सर्विस

(Pro Bono Legal Services)

यह एक वेब आधारित पहल है। इसकी वेबसाइट www.doj.gov.in के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- जो याचिकाकर्ता कानूनी सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वे प्रो-बोनो वकीलों से कानूनी सहायता और सलाह के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस ऑनलाइन पहल का मुख्य उद्देश्य संस्थागत तरीके से कानूनी सहायता की अवधारणा को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सेवाओं के लिए वालंटियर करने वाले वकीलों को उचित पहचान प्राप्त हो।

5.2.3.'न्याय मित्र' स्कीम

(Nyaya Mitra' Scheme)

इस योजना का उद्देश्य चयनित जिलों में लंबित मामलों की समयावधि को कम करना है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- यह योजना उन वादियों (litigants) की सहायता करेगा जो जांच या परीक्षण (ट्रायल) में देरी के कारण पीड़ित हैं। इन मुकदमों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की सहायता ली जाएगी। साथ ही वादी को सरकारी एजेंसियों और सिविल सोसायटी संगठनों से जोड़ कर, विधिक परामर्श प्रदान कर उनकी सहायता की जाएगी।
- यह पहल 227 जिलों में प्रारम्भ की जाएगी। इसमें 27 जिले उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर के एवं 200 जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के हैं।

5.2.4. एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाईज्ड पर्सन्स

(Access to Justice Project for Marginalized Persons):

- ये योजनाएँ न्याय विभाग और UNDP द्वारा लागू किये जा रहे **एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाईज्ड पर्सन** के क्रम में हैं। झारखंड और राजस्थान में CSC के माध्यम से कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट ने *CSC-ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड* के साथ साझेदारी की है।
- **महत्व:** न्याय तक सभी लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग 'डिजिटल इंडिया पहल' को सशक्त करता है। इसके साथ ही यह पहल पारदर्शिता, सुशासन और सेवाओं के डिजिटल वितरण को प्राथमिकता देती है।

VISION IAS

5.2.5.न्याय प्रतिपादन और कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन

(National Mission for Justice Delivery & Legal Reforms)

- न्याय प्रतिपादन और कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन की स्थापना 2011 में की गयी। यह न्याय प्राप्ति में होने वाले विलंब एवं बाधाओं को दूर करने तथा संरचनात्मक परिवर्तनों और निष्पादन के मानक एवं क्षमताओं को सुनिश्चित करने के माध्यम से उत्तरदायित्व को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से कार्य करता है।
    - यह मिशन, न्यायिक प्रणाली में बकाया मामलों के चरणबद्ध समापन और लंबित मामलों हेतु **समन्वित दृष्टिकोण** का अनुसरण करता है।
    - इसकी सलाहकार परिषद की अध्यक्षता **विधि एवं न्याय मंत्री** द्वारा की जाती है।

5.2.6. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (ICMIS)

(Integrated Case Management Information System:ICMIS)

सुर्खियों में क्यों?

- मामलों की डिजिटल फाइलिंग के लिए सर्वोच्च न्यायालय के **'इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम' (ICMIS)** का अनावरण किया गया।

ICMIS के कार्य:

- इस सिस्टम के माध्यम से केस की ई-फाइलिंग का विकल्प, केस लिस्टिंग की तिथि, केस की स्थिति, सूचना/सम्मन की ऑनलाइन सुविधा, कार्यालय रिपोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय के पंजीकरण कार्यालय में दाखिल मामलों (cases) के सम्बन्ध में समग्र रूप से हुई प्रगति की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी।
- यह न्यायालय से संबंधित शुल्कों और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे तथा एक *ऑनलाइन कोर्ट फी कैलकुलेटर* के रूप में कार्य करेगा।

6. शासन के महत्वपूर्ण पहलू / पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

(IMPORTANT ASPECTS OF GOVERNANCE/ TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY)

6.1. भारत में सहकारी आंदोलन

(Co-Operative Movement in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय समाज में सहकारी क्षेत्र के महत्व और योगदान के बारे में चर्चा की। भारत में सहकारी आंदोलन विश्व में सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक है, जिसमें **8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ** शामिल हैं।

संवैधानिक प्रावधान-

- **भाग IV, में अनुच्छेद 43** एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में किसी राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रयास करने हेतु निर्देशित करता है।
- यह भारतीय संविधान की **राज्य सूची** की प्रविष्टि संख्या 32 (7 वीं अनुसूची) के अंतर्गत राज्य का एक विषय है।
- सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 14 - (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद **19(1)(c) के तहत 'संगम या संघ बनाने का अधिकार'** के अंतर्गत **मूल अधिकार** के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

सहकारी समितियों के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नियुक्त विभिन्न समितियां:

- अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट (1954);
- चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति (इसके द्वारा एक मॉडल कानून का प्रस्ताव दिया गया) (1990);
- मिर्धा समिति (1996);
- जगदीश कपूर समिति (2000);
- विखे पाटिल समिति (2001); और
- वी.एस. व्यास समिति (2001और 2004)।

इन समितियों ने विद्यमान **सरकारी प्रभुत्व वाले सहकारी कानूनों के स्थान पर एक नए जन केंद्रित कानून अपनाने की आवश्यकता** का जोरदार समर्थन किया।

सहकारी आन्दोलन

- सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- व्यवसाय उद्यम के रूप में सहकारी समितियां स्वामित्व और नियंत्रण जैसे कुछ बुनियादी हितों से युक्त होती हैं परन्तु ये हित प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगकर्ता के हाथों में निहित होते हैं।
- इसीलिए, लाभप्रदता की आवश्यकता सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समुदाय के व्यापक हितों के द्वारा संतुलित की जाती है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष **2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति** की घोषणा की गई थी। **राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्य थे -**
  - सहकारिता के प्रसार और विकास के लिए समर्थन प्रदान करना;
  - क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाना;
  - सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को सशक्त करना।

VISION IAS

97वां संविधान संशोधन अधिनियम- इसके द्वारा संविधान में तीन प्रावधान शामिल किए गए-

- **अनुच्छेद 19(1)(c)** जो सुनिश्चित करता है कि सहकारी समितियों को स्पष्टतः संघ के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जिससे कि यह संघ बनाने के मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में स्वयं को संगठित करने के नागरिकों के अधिकार के अंतर्गत शामिल हो सके।
- **अनुच्छेद 43B** राज्यों को सहकारी संस्थाओं के स्वैच्छिक संगठन और स्वायत्त कार्यकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। यह राज्यों को सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान करता है।
- **IXB** के रूप में एक अत्यंत विस्तृत भाग के अंतर्गत सहकारी समितियों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य को निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों में सहकारी समितियों हेतु चुनाव आयोजित करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन और सरकार की शेयरधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या गारंटी प्राप्त सहकारी बोर्ड के अधिक्रमण (supersede) की शक्ति का प्रावधान किया गया है।

6.2. RTI से सम्बंधित मुद्दे

(Issues Related to RTI)

6.2.1. न्यायपालिका एवं RTI अधिनियम

(Judiciary & RTI Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय (SC) के नियम RTI अधिनियम के सन्दर्भ में असंगत हैं।

न्यायपालिका और RTI अधिनियम

- RTI के अंतर्गत न्यायपालिका से सूचना प्राप्त करने हेतु किए गए अनेक आवेदनों को SC के नियमों के तहत आवेदन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में स्वयं की नियमावली स्थापित की गयी है जिसके तहत अनेक प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है।
- हालांकि, न्यायपालिका को RTI की धारा 2 (h) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों (Public Authorities) की परिभाषा में शामिल किया गया था किन्तु अधिनियम के लागू होने के काफी समय बाद भी अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा जनसूचना अधिकारियों (PIOs) की नियुक्ति नहीं की गई है। जोकि लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।
- संक्षेप में, न्यायपालिका द्वारा अपने विवेक से दी जाने वाली सूचनाओं के कारण निश्चित रूप से RTI के नियमों का उल्लंघन होता है।
- RTI अधिनियम की धारा 23 के अनुसार किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है की वह किसी वाद याचिका की सुनवाई करे परन्तु विरोधाभास यह है कि संविधान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है की वह किसी भी प्रकार की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।

RTI अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, 'इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश के संदर्भ में किसी भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।'

निम्नलिखित से संबंधित सूचनाओं को RTI के तहत (प्रकटीकरण से) छूट प्राप्त है

- राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता
- राष्ट्रीय आर्थिक हित
- विदेशी राज्यों के साथ संबंध
- कानून का प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया·
- कैबिनेट से संबंधी तथा अन्य निर्णयन संबंधी दस्तावेज़
- व्यापारिक रहस्य (ट्रेड सीक्रेट) और वाणिज्यिक गोपनीयता
- व्यक्तिगत सुरक्षा
- व्यक्तिगत निजता

VISION IAS

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी निकाय का गठन होने मात्र से उसे RTI अधिनियम के प्रयोजनों हेतु लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।
- इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956, के तहत निगमित कम्पनियां, सोसायटी और ट्रस्ट के गठन व पंजीकरण का प्रावधान करने वाले अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी और ट्रस्ट को केवल RTI अधिनियम की धारा 2(h)(d) के प्रावधानों के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (h) के अनुसार "लोक प्राधिकरण" में शामिल हैं:·

- कोई प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा स्वायत्त सरकारी संस्था जिसकी स्थापना या गठन निम्नलिखित रीति से हुआ हो-
  - संविधान द्वारा या इसके अधीन।
  - संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी अन्य विधि द्वारा।
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा।
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित निकाय
  - केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन।
- वे इकाइयां जिन्हें स्पष्ट रूप से "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में मान्यता दी गई है:
  - संवैधानिक प्राधिकरण जैसे संघ और राज्य की कार्यपालिका, केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, संसद और राज्य विधान मंडल, चुनाव आयोग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि।
  - संसद या राज्य विधान मंडलों द्वारा स्थापित निकाय, जैसे नियामक प्राधिकरण (SEBI, RBI आदि), उच्च न्यायालय, विधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान आदि।
  - सरकार की अधिसूचना या आदेश द्वारा गठित योजना आयोग, UIDAI आदि निकाय।

6.3. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन

(Regulating NGOs)

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को NGOs को प्राप्त होने वाले विदेशी अनुदान के संबंध में एक सांविधिक कानून बनाने का सुझाव दिया है।
- इसके साथ ही सरकार को लगभग 30 लाख ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है जो सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं, परन्तु अपने व्यय का पर्याप्त लेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने NGO और स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं:
  - आवेदकों के पूर्व *ट्रैक रिकॉर्ड*, NGOs के आंतरिक प्रशासन एवं नैतिक मानदंडों का मूल्यांकन करना। किसी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा NGOs के खातों का मूल्यांकन कराना तथा CAG द्वारा उनके प्रदर्शन का लेखा परीक्षण कराना।
  - NGOs के खातों हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।
  - यदि NGOs अपनी *बैलेंस शीट* जमा करने में असफल होते हैं तो वसूली की एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। CBI के अनुसार 32 लाख NGOs में से केवल 3 लाख NGOs द्वारा ही अपनी *बैलेंस शीट* सरकार के साथ साझा की गई है।
  - सरकार और CAPART न केवल ऐसे NGOs को *ब्लैकलिस्ट* करेंगे, बल्कि धन की रिकवरी के लिए उन पर दीवानी मुकदमा भी दर्ज करेंगे।

VISION IAS

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (CAPART)

- CAPART की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए की गई थी।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच उभरती साझेदारी को प्रोत्साहन देने और समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

FCRA, 2010 से सम्बंधित अन्य तथ्य

- यह विशिष्ट व्यक्तियों या संघों अथवा कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान या आतिथ्य की स्वीकृति तथा उपयोग को विनियमित करता है।
- यह राष्ट्रीय हित के समक्ष संकट उत्पन्न करने में सक्षम किसी भी प्रकार के विदेशी योगदान या आतिथ्य की स्वीकृति तथा उपयोग पर निषेध आरोपित करता है।
- इसके अंतर्गत धन का एकत्रण केवल अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता, पुनर्वास, मानव-निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत पहुँचाने, परोपकारी गतिविधियों हेतु अचल संपत्ति और इमारतों के रख-रखाव हेतु किया जा सकता है।

FEMA एवं FCRA- वर्तमान में, FCRA के माध्यम से गृह मंत्रालय द्वारा NGO तथा अन्य संगठनों को मिलने वाली विदेशी सहायता पर निगरानी की जाती है। परन्तु प्रभावी निगरानी हेतु आवश्यकता है कि सभी गैर-सरकारी संगठनों की भी FEMA (वित्त मंत्रालय के अंतर्गत) के माध्यम से निगरानी की जाए क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन, कनाडा का इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर इत्यादि इसके अंतर्गत पंजीकृत हैं।

6.4. आपराधिक न्याय प्रणाली

(Criminal Justice System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS) में सुधारों से संबंधित **मलिमथ समिति की रिपोर्ट** पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है।

इन्क्विज़िटोरियल सिस्टम (Inquisitorial System)

- यह **एक कानूनी प्रणाली** है, जहां न्यायालय या न्यायालय का एक भाग किसी वाद के तथ्यों की जांच में सक्रिय रूप से शामिल होता है।
- यह एडवर्सेरियल सिस्टम (सामान्यतः भारत में लागू) के विपरीत है, जिसमें न्यायालय की भूमिका मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के मध्य एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता की होती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली (CJS)

- आपराधिक न्याय प्रणाली से आशय सरकार की उन संस्थाओं से है जो कानून का प्रवर्तन करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत हैं।
- इसके **तीन घटक** पुलिस, न्यायालय और कारागार हैं। ये परस्पर सम्बद्ध, परस्पर निर्भर और एक एकीकृत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं।
- **भारतीय आपराधिक विधि** के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के कुछ भागों सहित भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 सम्मिलित हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद विशेष और स्थानीय कानून, विभिन्न अन्य असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

VISION IAS

रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं

- जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से **इन्क्विज़िटोरियल सिस्टम** को ग्रहण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वह जाँच हेतु साक्षी के तौर पर सूचीबद्ध हो या न हो।
- **चुप रहने का अधिकार (राइट टू साइलेंस)-** संविधान के अनुच्छेद 20(3) में सुधार किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3), स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश करने से अभियुक्त की रक्षा करता है। न्यायालय को जानकारी प्राप्त करने के लिए अभियुक्त से प्रश्न करने और अभियुक्त के उत्तर देने से मना करने की स्थिति में उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- **पुलिस जांच-** जांच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। संगठित अपराधों से निपटने हेतु विशेषीकृत दस्तों का गठन और आपराधिक आंकड़ों का अनुरक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **न्यायालय और न्यायाधीश-** यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करती है।
    - इसके अतिरिक्त, उच्चतर न्यायालयों में ऐसे न्यायाधीशों से गठित एक पृथक आपराधिक विभाग होने चाहिए, जो आपराधिक कानूनों के विशेषज्ञ हों।
    - राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनुच्छेद 124 में संशोधन किया जाना चाहिए।

पुलिस सुधारों की जाँच हेतु स्थापित विभिन्न विशेषज्ञ समितियां निम्नलिखित हैं:-

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-81)
- रिबैरो समिति (1988)
- पद्मनाभैया समिति (2000)
- मलिमथ समिति (2002 -03)
- पुलिस अधिनियम मसौदा समिति (2005)
- प्रकाश सिंह मामले में दिए गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2006)
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007)
- पुलिस अधिनियम मसौदा समिति II (2015)

6.5. चकमा-हाजोंग शरणार्थी

(Chakma-Hajong Refugees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 2015 के आदेश के अनुसार चकमा (बौद्ध) और हाजोंग (हिंदू) शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

- चकमा और हाजोंग जनजातीय लोग हैं जो चटगांव (चिट्टगोंग) के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इन पहाड़ियों में से अधिकांश बांग्लादेश में अवस्थित हैं।
- 1960 के दशक में कप्ताई बाँध परियोजना के कारण उन्हें भारत और म्यांमार की सीमा में स्थित अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ा।
- उन्हें कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्होंने असम के लुशाई हिल्स जिले (वर्तमान में यह मिजोरम में है) से भारत में प्रवेश किया।
- केंद्र सरकार द्वारा उनमें से अधिकांश को नार्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी (वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में) में स्थानांतरित कर दिया गया।

VISION IAS

6.6. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2016

(The Citizenship (Amendment) Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से नागरिकता संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं।

भारतीय नागरिकता

- भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955: भारतीय नागरिकता के अर्जन के मानदंड जन्म, मूल, पंजीकरण (PIO और OCI) और देशीयकरण हैं।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015: भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) स्कीम का विलय प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक (OCC) में कर दिया गया है।
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एवं पाकिस्तान से आने वाले अवैध प्रवासियों (मुस्लिमों के अतिरिक्त) को नागरिकता हेतु पात्र बनाने वाला नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 अभी भी लंबित है।

पृष्ठभूमि

- मूल **नागरिकता अधिनियम** को 1955 में पारित किया गया था। यह भारतीय नागरिकता की अवधारणा को परिभाषित करता है और इसे प्राप्त करने की विधियों की सूची प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट रूप से सभी बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है।
- इस कानून के अनुसार कोई व्यक्ति निम्नलिखित आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है:
  - जन्म के आधार पर
  - जिसके माता-पिता भारतीय हों, या
  - किसी निश्चित समय से देश में निवास कर रहा हो।
- यह विधेयक अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है।
- *फॉरनर एक्ट, 1946* और *पासपोर्ट एंट्री इन टू इंडिया एक्ट, 1920* के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है।

संशोधन की विशेषताएं

- यह लोगों की दो श्रेणियों से संबंधित है-
  1. अवैध अप्रवासी
  2. ओवरसीज़ कार्डधारक
- यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त करने का पात्र बनाता है।
- अब वे वैध दस्तावेज नहीं होने पर भी कैद या निर्वासित नहीं किए जाएँगे।
- अधिनियम ने केंद्र सरकार द्वारा OCI पंजीकरण रद्द करने के आधारों को विस्तृत कर दिया है, उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- देशीयकरण (naturalisation) के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड को 12 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।

अवैध प्रवासी कौन है?

अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो या तो:

- वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है।
- वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमति प्राप्त समय से अधिक निवास करता है।

VISION IAS

प्रवासी भारतीय नागरिक कौन हैं?

- OCIs वे विदेशी होते हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए, वे वर्तमान भारतीय नागरिक के बच्चे या पूर्व भारतीय नागरिक हो सकते हैं। उन्हें विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे:- वीज़ा के बिना भारत की यात्रा करना।
- प्रवासी भारतीय नागरिकता (OCI) स्कीम को अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके प्रारंभ किया गया था।

6.7 संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा

(Minority Status For Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए शैक्षिक न्यासों और सोसाइटियों को अब नीति आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठन के रूप में पंजीकरण करना होगा, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हों अथवा नहीं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI)

- यह NCMEI अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है तथा इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित हैं।
- इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसके **तीन सदस्य** केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
- आयोग को अल्पसंख्यकों के **अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन के अधिकार** के वंचन अथवा उल्लंघन के संबंध में विशेष शिकायतों पर विचार करने का अधिदेश प्राप्त है।

भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकार

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16) और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) जैसे मूल अधिकारों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों को प्राप्त अन्य अधिकार हैं:

- जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करना राज्य का दायित्व है; **[अनुच्छेद 46]**
- नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं; **[अनुच्छेद 51A]**
- नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है; **[अनुच्छेद 29(1)]**
- राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा; **[अनुच्छेद 29(2)]**
- सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार; **[अनुच्छेद 30 (1)]**
- शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है; **[अनुच्छेद 30 (2)]**
- भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी और उसके कर्तव्य; **[अनुच्छेद 350 B]**।
- सिख समुदाय का 'कृपाण धारण करने और लेकर चलने' का अधिकार; **[अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1]**।

VISION IAS

6.8. सोशल ऑडिट

(Social Audit)

सुर्खियों में क्यों?

मेघालय, सामाजिक लेखा परीक्षा कानून को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। मेघालय ने **'मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा, अधिनियम 2017'** ('The Meghalaya Community Participation and Public Services Social Audit Act, 2017') को लागू किया है।

स्थानीय स्वशासन संस्थानों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) **राज्य सूची का विषय** है। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) व शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की प्राथमिक (बाह्य) लेखा परीक्षा, राज्य की **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (LFAD)** द्वारा या राज्य के कानूनों में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

सोशल ऑडिट क्या है?

- सोशल ऑडिट्स से आशय वैधानिक रूप से अनिवार्य उस प्रक्रिया से है, जिसमें किसी कार्यक्रम के संभावित और मौजूदा लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों की यथार्थ वास्तविकताओं के साथ तुलना करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है।
- किसी विशेष कार्यक्रम की कार्यान्वयन-अवधि और प्रगति के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने के लिए लाभार्थियों, कार्यान्वयन एजेंसी व निरीक्षण तंत्र द्वारा एक साथ मिलकर कार्य किया जाता है।

सोशल ऑडिट का महत्त्व

- 14वें वित्त आयोग द्वारा PRIs, ULBs एवं अन्य संस्थाओं की भूमिकाओं में विस्तार करने की सिफारिश की गयी है। इन संस्थाओं पर कैग का ऑडिट सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट होने के कारण इन संस्थाओं की सोशल ऑडिट और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
- यह तंत्र इनपुट, प्रक्रियाओं, वित्तीय व भौतिक सूचनाओं, अनुपालन, भौतिक सत्यापन, दुरूपयोग के विरुद्ध आश्वासन, धोखाधड़ी एवं गबन तथा संसाधनों और परिसंपत्तियों के उपयोग से संबंधी प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करवाता है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना -** इसके माध्यम से जनसामान्य अपने क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं जिससे प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि होती है। यह, अंततः, लोगों को सशक्त बनाने एवं विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने में सहायक होती है।

सोशल ऑडिट की सीमाएं

- सोशल ऑडिट का दायरा व्यापक लेकिन अत्यधिक स्थानीयकृत है। यह केवल वित्तीय अनुपालन तथा निष्पादन लेखा परीक्षा (performance audits) के विभिन्न पहलुओं के कुछ पक्षों की ही ऑडिट करता है।
- सोशल ऑडिट निगरानी का अनौपचारिक एवं अपरिष्कृत तरीका है तथा इस संबंध में सीमित अनुवर्ती कार्रवाई होती है।

6.9 योजना निगरानी दल

(Project Monitoring Group)

- इसका गठन 2013 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत किया गया था। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अंतर्गत कार्यरत है।
- यह वृहद् स्तरीय सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनुमोदन की फ़ास्ट ट्रैकिंग और उन्हें शीघ्र चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है।

VISION IAS

- यह अपने वेब पोर्टल **ई-निवेश मॉनीटर** के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के विकास और संचालन की निगरानी कर रहा है।
- यह पोर्टल, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों आदि से सूचनाएँ प्राप्त करके, सभी डिजिटलीकृत प्रस्तावों के संबंध में ऑनलाइन निवेदन से लेकर क्लीयरेंस तक निगरानी रखता है।

6.10. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स

(Public Affairs Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2017 जारी किया गया। इस इंडेक्स में प्रशासन, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना इत्यादि पैमानों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग की गयी है।

पृष्ठभूमि

- इस इंडेक्स का आरंभ **2016 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC), इण्डिया** द्वारा किया गया था। PAC का मुख्यालय बंगलुरु में है। यह एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य भारत में प्रशासन में सुधार करना है।
- यह सर्वे **10 थीम्स, 26 फोकस सब्जेक्ट्स और 82 इंडीकेटर्स** पर आधारित है।

निष्कर्ष

- **केरल और तमिलनाडु** ने 2016 के समान 2017 में भी क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तत्पश्चात् गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान है।
- अंतिम चार स्थानों पर **असम, ओडिशा, झारखण्ड और बिहार** हैं।

6.11 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, 2017

(Corruption Perception Index 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल** द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

- यह एक विश्वस्तरीय सिविल सोसायटी संगठन है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करता है। यह बर्लिन (जर्मनी) में स्थित है।
- यह **ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर** का प्रकाशन भी करता है।

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के सन्दर्भ में

- इस सूचकांक में विशेषज्ञों एवं व्यवसायियों के अनुसार 180 देशों व क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर पर 0 से 100 तक के पैमाने पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। यहाँ 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 अत्यधिक ईमानदार है।
- नवीनतम सूचकांक **भ्रष्टाचार तथा प्रेस, संगम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संबंध पर एक विश्लेषण है।** रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि प्रेस और NGO के लिए न्यूनतम सुरक्षा वाले देशों में **भ्रष्टाचार की दर सबसे खराब** होती है।

सूचकांक के निष्कर्ष

- सूचकांक के अनुसार दो तिहाई से अधिक देशों ने 43 के औसत स्कोर के साथ 50 से कम स्कोर किया है।
- 43 स्कोर के साथ भारत को 81वीं रैंक प्रदान की गई है। सूची के शीर्ष पर न्यूजीलैंड और निम्नतम रैंक पर सोमालिया है।
- उप-सहारा अफ्रीका, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र हैं।

VISION IAS

6.12. कॉमिट

(COMMIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम "प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल" (Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training:COMMIT) का शुभारंभ किया गया है।

उद्देश्य: इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना तथा नागरिकों से दैनिक आधार पर संवाद करने वाले अधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान करना है।

विवरण

COMMIT प्रोग्राम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने **UNDP के सहयोग से विकसित** किया है। यह राज्य सरकार के नव नियुक्त अधिकारियों में सामान्य और डोमेन विशिष्ट दक्षताएँ विकसित करने के लिए 2014-15 में प्रारंभ किए गए मौजूदा प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction Training Program: ITP) को पूरकता प्रदान करेगा।

"The Secret To Getting Ahead Is Getting Started"

ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM *for*

GS PRELIMS & MAINS 2020 & 2021

15th May | 11th June

- Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

- Access to recorded classroom videos at personal student platform
- Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2019, 2020, 2021
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2019, 2020, 2021 (Online Classes only)

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

7. स्थानीय शासन

(LOCAL GOVERNANCE)

7.1. म्युनिसिपल बांड

(Municipal Bonds)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, 14 राज्यों के 94 शहरों को म्युनिसिपल बांड जारी करने के लिए उनकी तैयारी के आधार पर क्रिसिल (CRISIL) जैसी एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग प्रदान की।
- क्रिसिल द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों का मूल्यांकन किया गया।
- इनमें से 55 शहरों को "इन्वेस्टमेंट ग्रेड" रेटिंग प्राप्त हुई जबकि 39 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड (BBB-) से नीचे की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है।

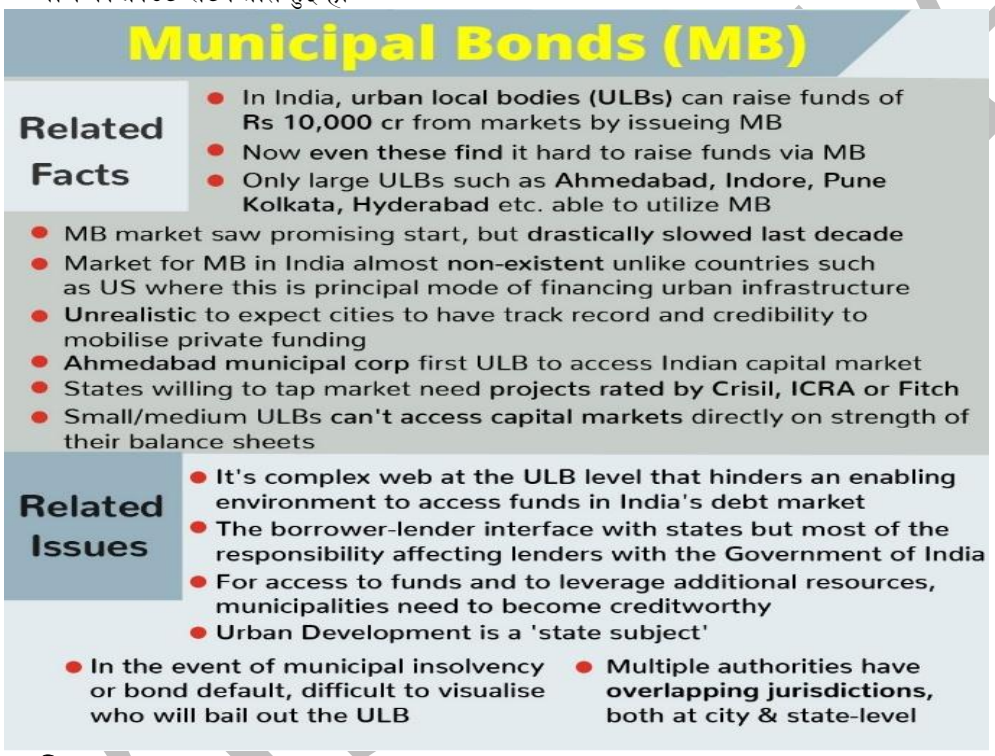

पृष्ठभूमि

- **इशर जज अहलूवालिया** (2011) की अध्यक्षता वाली **शहरी अवसंरचना संबंधी समिति** ने अनुमान लगाया कि भारतीय शहरों को अगले दो दशकों अर्थात् 2031 तक स्थिर कीमतों पर लगभग 40 ट्रिलियन रुपयों के निवेश की आवश्यकता होगी।
- **सेबी (SEBI) द्वारा 2016 में म्युनिसिपल बांड संबंधी विनियम जारी किए गए।**
  - म्युनिसिपल बांड के कुछ निश्चित नियमों के अनुरूप होने तथा उनकी ब्याज दरों के बाजार आधारित होने की स्थिति में भारत में म्युनिसिपल बांड कर-मुक्त होंगे।
  - नगर निगमों को **इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग** बनाए रखने की आवश्यकता है तथा उन्हें **परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत योगदान** करना होगा।
  - नगर निगम **पिछले एक वर्ष में प्राप्त किसी भी ऋण के संबंध में डिफाल्टर** की स्थिति में नहीं होनी चाहिए।
  - नगर निगमों को ऋण के मूलधन की वापसी सुनिश्चित करने हेतु ऋण को **पूर्ण परिसंपत्ति कवर (फुल एसेट कवर)** प्रदान करना होगा। इन बांड्स को जिस परियोजना के लिए जारी किया गया है, उस परियोजना के माध्यम से प्राप्त राजस्व को **एक अलग एस्क्रो अकाउंट** में रखना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इस अकाउंट की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

- 2017 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडे में म्युनिसिपल बांड मार्केट के उपयोग करने की बात भी की गई है।

संबंधित तथ्य-

- संविधान में नगरीय स्थानीय निकायों हेतु **करों की पृथक सूची प्रदान नहीं की गई है**। करों के अधिरोपण या उनकी दरों में परिवर्तन इत्यादि हेतु राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W और 243X नगरपालिकाओं को अपने कार्य निष्पादन में समर्थ बनाने हेतु करारोपण, शुल्क उद्ग्रहण आदि के रूप में **ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधान मंडल पर कर्तव्य** अधिरोपित करते हैं।
- भारतीय संविधान, अनुच्छेद 276 के तहत **स्थानीय निकायों द्वारा** इस कर की सुविधाजनक उगाही हेतु प्रावधान करता है यथा **व्यावसायिक कर** किसी वृत्ति या व्यापार या व्यवसाय आदि की अर्जित आय पर एक लेवी (करारोपण) है।

महत्व

- शहरी स्थानीय निकायों की परियोजनाओं की निम्न व्यावहारिकता एवं लंबी परिपक्वता अवधि होती है एवं साथ ही लागत वसूल कर पाने की संभावना निम्न से लेकर मध्यम होती है। कम लागत पर उधार प्राप्ति इन शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक लाभपूर्ण स्थिति होगी। जिस नगर निगम की रेटिंग जितनी अधिक होगी, उसके लिए ब्याज और उधार की लागत उतनी ही कम होगी।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए म्युनिसिपल बांड आवश्यक हैं।

7.2. पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना

(Training Elected Women Representatives of PRIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- MoWCD के राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य **EWRs का क्षमता निर्माण** करना है।
- यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो लगभग प्रत्येक जिले से लगभग 50 EWRs को शामिल करते हुए मार्च, 2018 तक 20 हजार EWRs को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षित महिलाएँ **गाँवों में जाकर गाँवों का पेशेवर तरीके से प्रबंधन** करेंगी।

कार्यक्रम के बारे में

- इसमें शिक्षा और वित्तीय मामलों पर ध्यान देने के साथ ही सरल इंजीनियरिंग कौशल को शामिल किया जाएगा ताकि वे महिलाओं के मुद्दों की बेहतर समझ प्राप्त कर सकें।
- उन मास्टर ट्रेनर्स को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो अपने क्षेत्र की EWRs को सशक्त बनाने में सफल साबित होंगे।

- यह कार्यक्रम *आदर्श ग्राम* के निर्माण में सहायता करेगा। यह शासन प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और भावी राजनीतिक नेताओं के रूप में उन्हें तैयार करने में सहायता करेगा।

VISION IAS

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उठाये गए कदम

- 73वें (अनुच्छेद 243D) और 74वें (अनुच्छेद 243T) संविधान संशोधन के माध्यम से PRIs में महिलाओं हेतु कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
- 108वें (महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है), 110वें और 112वें (PRIs और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षण) संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तावित किए गए, हालांकि वे व्यपगत हो चुके हैं।
- बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पहले ही 50% सीटें आरक्षित की जा चुकी हैं। सिक्किम में स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए 40% सीटें आरक्षित की गयी हैं।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

4th Dec | 9 AM

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

21st Nov | 1 PM

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

8. संवैधानिक, नियामकीय एवं अन्य निकाय

(CONSTITUTIONAL, REGULATORY & OTHER BODIES)

8.1. नीति आयोग

(NITI Aayog)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग ने एक तीन वर्षीय कार्यसूची का मसौदा तैयार किया जो समग्र राष्ट्रीय विकास एजेंडे का ही एक भाग है।

पृष्ठभूमि

- 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तथा इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं की प्रासंगिकता समाप्त हो गई।
- तत्पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग को पन्द्रह वर्षीय दृष्टिकोण (VISION), सात वर्षीय रणनीति (STRATEGY) एवं तीन वर्षीय कार्यसूची (ACTION AGENDA) सहित एक राष्ट्रीय विकास एजेंडा निर्मित करने का सुझाव दिया।

नीति आयोग की पहलें

नीति आयोग ने विकास के लिए अनेक क़दमों की पहल की है। इसकी मुख्य पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना– इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं:
  - केंद्र व राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडे का साझा विकास
  - केंद्रीय मंत्रालयों के समक्ष राज्यों के दृष्टिकोणों का समर्थन
- किसान हितैषी सुधार सूचकांक का विकास
- राज्यों के कार्य निष्पादन को मापने हेतु संकेतक
- स्वास्थ्य परिणामों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय सूचकांक
- विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- जल प्रबंधन सूचकांक इत्यादि।

NGO-दर्पण के बारे में

- NGO-दर्पण नीति आयोग द्वारा प्रदत्त एक प्लेटफॉर्म है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वाधान में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया था।
- इसका उद्देश्य सरकार एवं स्वयंसेवी क्षेत्र के बीच व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा बेहतर पारदर्शिता, दक्षता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- यह पोर्टल स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए सिस्टम जेनरेटेड यूनिक आई डी प्राप्त करना सुगम बनाता है। यह यूनिक आई डी मंत्रालयों/विभागों/सरकारी निकायों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदानों हेतु आवेदन करने के लिए अनिवार्य है।

8.2. लोकपाल

(Lokpal)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 अपने वर्तमान स्वरूप में व्यवहार्य (workable) है।

लोकपाल से संबद्ध मुद्दे:

- **संशोधनों के माध्यम से प्रावधानों को कमजोर करना**- 2016 में पारित किये गए विधेयक द्वारा सरकारी कर्मचारियों के जीवनसाथी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा की कानूनी अनिवार्यता वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- **भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PCA) के साथ असंगतता** - जाँच के संबंध में लोकपाल को प्राप्त पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति भ्रष्टाचार निरोधक कानून में किये गए संशोधनों के कारण निष्प्रभावी हो गई है।
- **राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता**- लोकायुक्त की प्रकृति एवं उसके स्वरुप का निर्धारण पूरी तरह से राज्यों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। इससे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार**- न्यायपालिका को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

- **केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का गठन**- सभी राज्य इस अधिनियम को लागू किये जाने की तिथि से 365 दिनों की अवधि के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे।
- **संरचना**- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे तथा 50 प्रतिशत सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से की जाएगी।
- **चयन समिति** - लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, एक चयन समिति के माध्यम से होगा। इस समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनके द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा चयन समिति के इन चार सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित प्रख्यात न्यायविद होंगे।
- **लोकपाल का क्षेत्राधिकार**- प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। FCRA के प्रावधानों के तहत किसी विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होंगी।
- **CBI के संबंध में शक्ति**- लोकपाल को इसके द्वारा CBI या अन्य किसी जांच एजेंसी को सौंपे गए मामलों का अधीक्षण करने तथा निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होगा। लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों की जांच से संबंधित CBI अधिकारियों का स्थानांतरण लोकपाल की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।
- **संपत्ति जब्त करना**- इस अधिनियम में भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं, भले ही अभियोजन प्रक्रिया लंबित हो। इस अधिनियम में प्रारंभिक पूछताछ, जांच और सुनवाई के लिए स्पष्ट समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

VISION IAS

8.3. वित्त आयोग

(Finance Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग (FC) के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- इसे 30 अक्टूबर 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

वित्त आयोग के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत एक **अर्द्ध-न्यायिक निकाय** के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है।
- इसका **गठन राष्ट्रपति द्वारा** प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है, जैसा भी वह आवश्यक समझे।
- वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करता है-
  - संघ और राज्यों के मध्य **करों की निवल आय का वितरण** और इस आय का राज्यों के मध्य आवंटन।
  - संघ द्वारा राज्यों को भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले **सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत**।
  - राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में स्थानीय सरकारों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की **संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय**।
  - राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।
- वित्त आयोग की सिफारिशों की **प्रकृति केवल सलाहकारी** होती है।
- **संविधान** वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर और राज्यों के मध्य क्षैतिज रूप से करों के वितरण के मुख्य विषय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है।
- यह वित्त आयोग को **'सुदृढ़ वित्त' के हित में व्यापक अनुशंसाएँ** प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है।

संरचना और अर्हताएँ-

- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर होता है।
- संविधान ने संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया है। तदनुसार-
  - अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए।
  - चार अन्य सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जा सकता है-
    - किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य कोई व्यक्ति।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के वित्त एवं लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो।
    - ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो।

8.4. केंद्रीय सतर्कता आयोग

(CVC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- RBI ने CVC को निजी क्षेत्र के बैंकों व उनके कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988** के अंतर्गत किसी निजी बैंक के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारियों को लोकसेवकों के तौर पर देखा जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि **बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46A** के अनुसार ऐसे अधिकारियों को लोक अधिकारी माना गया है।

VISION IAS

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत CVC के कार्य एवं शक्तियाँ :

- दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (CBI) के कार्यों पर उस सीमा तक अधीक्षण करना जहाँ तक वे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आने वाले अपराधों अथवा लोक सेवकों की कतिपय श्रेणियों हेतु CrPC के अंतर्गत आने वाले अपराध से संबंधित हैं- धारा 8(1)(A);
- दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (CBI) को उस सीमा तक अधीक्षण संबंधी निर्देश देना जहाँ तक ये भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988 के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच से जुड़े हैं- धारा 8(1)(B);
- केंद्र सरकार के निर्देश पर कोई पूछताछ करना अथवा पूछताछ या जांच का निमित्त बनना– धारा 8(1)(C);
- केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट अधिकारियों की श्रेणी के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की पड़ताल करना अथवा पड़ताल या जांच का निमित्त बनना – धारा 8(1)(D);

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

- आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) होंगे।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सतर्कता आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा एक समिति {जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) तथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष (सदस्य) हों} की अनुशंसाओं पर **नियुक्त किया जाएगा।**
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से चार वर्षों अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने (जो भी पहले हो) तक रहेगा।
- जांच के दौरान, कुछ निश्चित सन्दर्भों में आयोग को एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988

- इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1987, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा क्रिमिनल लॉ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों को समाहित किया गया है।
- यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। सांसदों एवं विधायकों को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
- लोक सेवकों के अभियोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा **विशेष न्यायाधीशों** की नियुक्ति की जाती है।
- परिभाषा के अनुसार **'लोक सेवक'** के अंतर्गत सरकार अथवा इसके विभाग, इसकी कंपनियों अथवा किसी उपक्रम या सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निकाय को सेवा दे रहा व भुगतान प्राप्त कर रहा कोई व्यक्ति सम्मिलित है।
- इसके अंतर्गत न्यूनतम छह माह से लेकर पाँच वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है।
- गबन, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति का अर्जन, किसी मौद्रिक लाभ की प्राप्ति आदि को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाता है।

8.5. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

(National Green Tribunal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना के **क्रियान्वयन पर रोक लगा दी** है जिसके अंतर्गत इसने NGT को **"विशिष्ट परिस्थितियों" में एकल सदस्यीय पीठों के गठन** की अनुमति दी थी।

पृष्ठभूमि

- NGT की पीठों में "दो या अधिक सदस्य" होते हैं जिनमें **कम से कम एक न्यायिक सदस्य** एवं दूसरा **पर्यावरण विशेषज्ञ** होता है।
- चूँकि **पर्याप्त नियुक्तियां नहीं** की गई हैं, अत: सरकार ने एकल सदस्यीय पीठों के गठन की अनुमति वाली अधिसूचना जारी की थी।

VISION IAS

NGT के बारे में

- इसकी स्थापना **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010** के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मामलों के **प्रभावी व त्वरित निपटारे** हेतु की गई थी।
- उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त **न्यायाधीश** ही इसका न्यायिक सदस्य हो सकता है।
- **विशेषज्ञ** सदस्यों के लिए **पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव** का होना आवश्यक है।
- न्यायाधिकरण **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** द्वारा निर्देशित होता है।
- न्यायाधिकरण को किसी अपील के दायर किए जाने के **छह माह के भीतर उसके निपटान का अधिदेश** प्राप्त है।
- नई दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ तथा **भोपाल, पुणे, कोलकाता** एवं **चेन्नई** में इसकी अन्य पीठें हैं।
- यह **निम्नलिखित कानूनों** से जुड़े मामलों में निर्णय देता है -
  - जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  - वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  - सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
  - वन संरक्षण अधिनियम
  - जैव विविधता अधिनियम
- अधिनियम के अनुसार, NGT के निर्णय के विरूद्ध केवल **सर्वोच्च न्यायालय** में **अपील** की जा सकती है।

8.6. स्वायत्त निकाय

(Autonomous Bodies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **रतन वाटल समिति** ने स्वायत्त निकायों की समीक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपी है।
- केंद्रीय कैबिनेट ने दो स्वायत्त निकायों को बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही इनके कार्यों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (DoHFW) को सौंपा जाना प्रस्तावित है।

स्वायत्त निकाय क्या हैं?

- सरकार द्वारा इनकी स्थापना व वित्तपोषण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यद्यपि वे अपने दैनंदिन कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, तथापि सरकार का इन पर कुछ नियंत्रण बना रहता है।
- **सामान्य वित्तीय नियम, 2016** के अनुसार आकार और गतिविधि की प्रकृति के हिसाब से मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तीन अथवा पाँच वर्षों में संगठनों की **बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा (EXTERNAL OR PEER REVIEW)** करवाई जाएगी।
- इस समीक्षा पर विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए यथा कार्य संपन्न हुआ है अथवा नहीं, यदि किसी अन्य संगठन द्वारा समान कार्य किए जा रहे हों तो क्या उनका विलय किया जा सकता है; इत्यादि।
- 1784 में विलियम जोंस द्वारा स्थापित **एशियाटिक सोसाइटी** प्राचीनतम स्वायत्त निकाय है। 1984 में, यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बन गया।

VISION IAS

विवरण

- सरकार ने 2014 में व्यय सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक **व्यय प्रबंधन आयोग** (EMC) की स्थापना की थी। इसे खाद्य, उर्वरक एवं तेल सब्सिडियों को कम करने तथा भारत का राजकोषीय घाटा का करने के उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया था।
- **EMC** की अनुशंसाओं के आधार पर, नीति आयोग ने DoHFW के अंतर्गत आने वाले 19 स्वायत्त निकायों की समीक्षा के कार्य का उत्तरदायित्व लिया तथा **स्वायत्त निकायों की समीक्षा के लिए समिति** (रतन वाटल की अध्यक्षता में) की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी।
- सरकार की मुख्य चिंता यह है कि परिणामों, प्रभावशीलता व दक्षता में वृद्धि के दृष्टिकोण से स्वायत्त निकायों की समीक्षा किये जाने एवं उन्हें तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

वे निकाय जिनको बंद किए जाने का अनुमोदन किया गया है-

- **राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)** की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले निर्धन रोगियों को वित्तीय चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई थी। इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- **जनसँख्या स्थिरता कोष (JSK)** की स्थापना वर्ष 2003 में जनसंख्या स्थिरीकरण रणनीतियों के सन्दर्भ में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए के कॉर्पस अनुदान के साथ की गई थी।

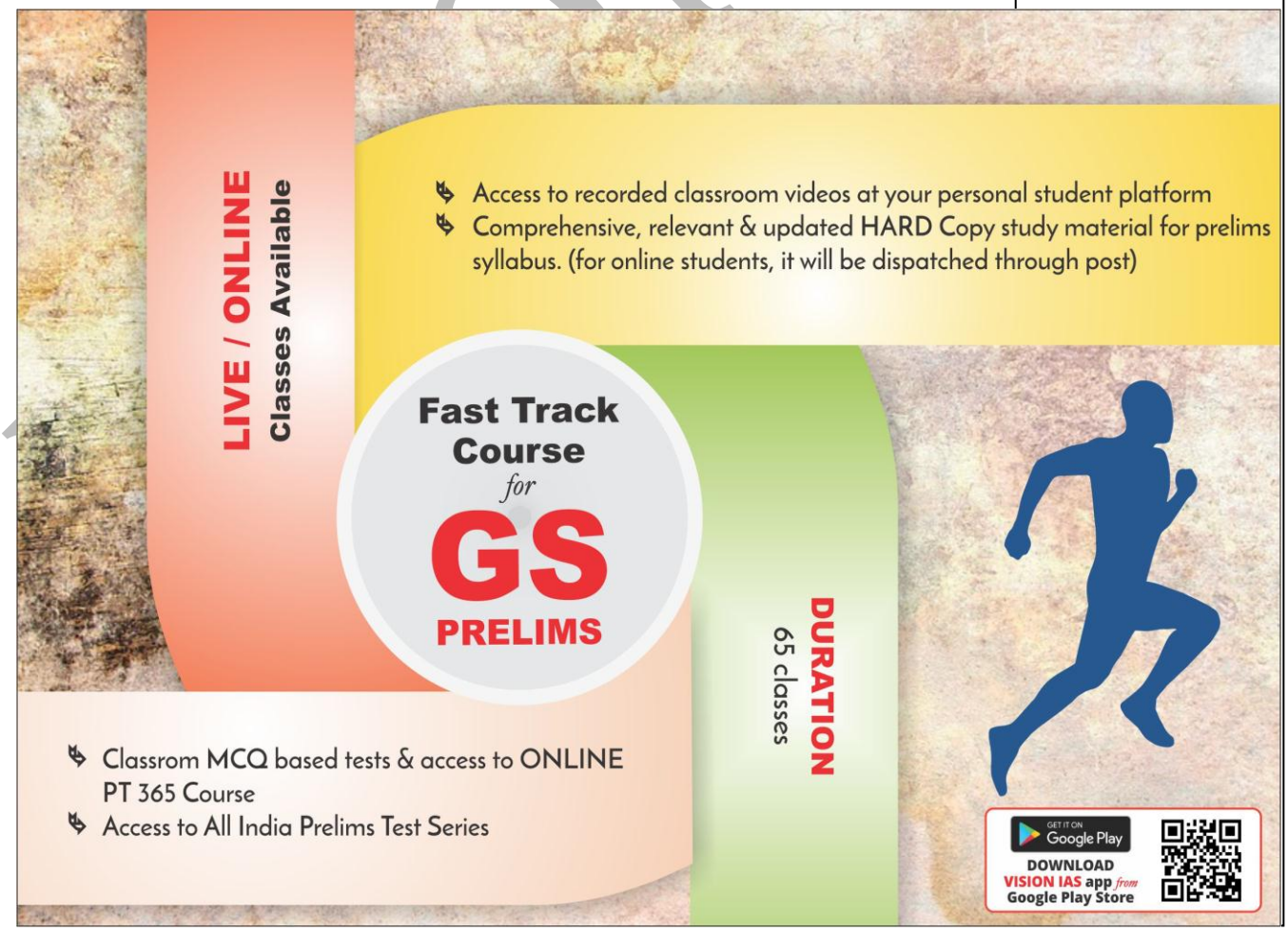

9. महत्वपूर्ण कानून / विधेयक

(IMPORTANT LEGISLATIONS / BILLS)

9.1. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन

(Amendments to Whistle Blower Protection)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 में संशोधन का सुझाव दिया है। इस संशोधन का सिविल सोसाइटी द्वारा विरोध किया जा रहा है।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (WBPA), 2014 के अंतर्गत किये गए प्रावधान

- यह व्हिसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोअर हो सकते हैं।
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट,1923 के प्रावधानों में निहित तथ्यों के अतिरिक्त, व्यक्ति सूचना का जनहित प्रकटीकरण एक सक्षम प्राधिकारी (CA) के समक्ष कर सकता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी जांच के लिए CBI या पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास जांच के लिए सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।
- इस प्राधिकारी के दिशा-निर्देश बाध्यकारी होते हैं। संगठन द्वारा अनुशंसाओं पर तीन माह (अधिकतम 6 माह) में कार्यवाही करनी होगी या असहमत होने पर लिखित रिकॉर्ड रखना होगा अन्यथा गैर-अनुपालन के लिए दंड का भुगतान करना होगा।
- यह गोपनीयता सुनिश्चित करता है तथा उचित अनुमोदन के बिना, शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने वाले सरकारी अधिकारी को दण्डित करता है। इसमें तीन वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

अधिनियम में अनुशंसित संशोधन

- संशोधन विधेयक के अनुसार, WBP कानून के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण के लिए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत व्हिसल ब्लोअर को प्राप्त अभियोजन से सुरक्षा संबंधित प्रावधान को हटाना है। OSA के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- WBPअधिनियम को RTI कानून के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, राष्ट्र की संप्रभुता,अखंडता, सुरक्षा एवं आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली व्हिसल ब्लोअर की शिकायतों को जांच के दायरे से बाहर रखा जायेगा।
- इसके अतिरिक्त, कुछ निश्चित श्रेणियों की जानकारी व्हिसल ब्लोअर द्वारा किये गए प्रकटीकरण का हिस्सा नहीं बन सकती है, जब तक कि उन सूचनाओं को RTI एक्ट के तहत प्राप्त नहीं किया गया हो। इसमें वाणिज्यिक गोपनीयता, किसी तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को हानि पहुँचाने वाले व्यापारिक रहस्य (ट्रेड सीक्रेट) आदि शामिल हैं। इन छूटों को RTI कानून की धारा 8(1) में शामिल किया गया है। RTI कानून की धारा 8(1) में उन श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनसे संबंधित सूचनाओं को नागरिकों के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता है।

इन श्रेणियों में सम्मिलित हैं: (i) आर्थिक, वैज्ञानिक हित और भारत की सुरक्षा; (ii) कैबिनेट कार्यवाही; (iii) बौद्धिक संपदा; (iv) किसी जिम्मेदारी पूर्ण पद पर होने के कारण प्राप्त सूचना आदि।

VISION IAS

9.2. IIIT (PPP) विधेयक, 2017

(IIIT (PPP) BILL, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान–सार्वजनिक निजी भागीदारी (IIIT-PPP) विधेयक, 2017** पारित किया है जो **PPP मॉडल** पर स्थापित 15 IIITs को डिग्री प्रदान करने और वैधानिक दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

- इन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है।
- ये देश/राज्य के विशिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों के विकास में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करते हैं।
- इन्हें आम तौर पर भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा शोध, शिक्षण तथा शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (centers of excellence) को विकसित करने हेतु समर्थन प्रदान किया जाता है।

प्रमुख अंश

- यह विधेयक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित वर्तमान 15 IIITs को **राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं** के रूप में स्थापित करने की घोषणा करता है।
- यह कदम स्नातक विद्यार्थियों के लिए रोजगार-प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि करेगा।
- यह देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक **मजबूत शोध आधार** विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु संस्थानों को भी सक्षम बनाएगा।

9.3. यातना निरोधक कानून का प्रस्ताव

(Anti Torture Legislation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विधि आयोग ने केंद्र सरकार से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की पुष्टि करने और एक सुदृढ़ यातना निरोधक कानून (एंटी-टॉर्चर लॉ) के निर्माण करने की अनुशंसा की है।

यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर (UNCAT)

यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल है। इसका उद्देश्य विश्व भर में यातना और क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा को समाप्त करना है। यह कन्वेंशन 1987 से लागू है।

मुख्य प्रावधान:

- किसी ऐसे राज्य में **व्यक्ति के निर्वासन/प्रत्यर्पण** का निषेध करना, जहाँ उन्हें यातना का सामना करना पड़ सकता है।
- जिन मामलों में कथित उत्पीड़क को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, उन मामलों की सुनवाई के लिए **सार्वभौम न्यायाधिकार (Universal Jurisdiction)** की स्थापना की जानी चाहिए।
- **यातना के लिए आपराधिक दायित्व:** सभी देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी प्रकार की यातनाएं उनके आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध हों।
- विधि प्रवर्तन, नागरिक व सैन्य तथा सार्वजनिक पदाधिकारियों आदि को यातना की रोकथाम के सम्बन्ध में **शिक्षा और सूचनाएं** प्रदान करना।
- यातना के आरोपों या पीड़ितों की त्वरित जांच के लिए **प्रक्रियाएं** होनी चाहिए। न्यायालयों को उन साक्ष्यों के उपयोग को प्रतिबंधित करना चाहिए जिनको यातना के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
- पीड़ितों और गवाहों के लिए **संरक्षण, मुआवजा और पुनर्वास** तथा प्रभावी उपचार प्रणाली प्रदान करना।

पृष्ठभूमि

- यद्यपि भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर 1997 में ही हस्ताक्षर कर दिए गये थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गयी है। भारत विश्व के उन नौ देशों में शामिल है, जिनके द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गयी है।

VISION IAS

- इस मुद्दे को विधि आयोग को भेजा गया। विधि आयोग ने अपनी 273वीं रिपोर्ट में, **यातना निरोधक विधेयक, 2017** की सिफारिश की है।

यातना निरोधक विधेयक, 2017

- यातना की विस्तृत परिभाषा शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं है अपितु इसके अंतर्गत जानबूझकर या अनजाने में किसी भी शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक चोट पहुँचाने का प्रयास करना भी सम्मिलित है।
- **राज्य के एजेंट के लिए संप्रभु प्रतिरक्षण नहीं-** राज्य को अपने एजेंटों के द्वारा लोगों को चोट पहुँचाए जाने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि संप्रभु प्रतिरक्षण का सिद्धांत (principle of sovereign immunity) संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकता।
- यातना देने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए यातना हेतु सजा का प्रावधान।

9.4. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक

(National Medical Commission Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठभूमि

- **प्रो. रंजीत रॉय चौधरी समिति** (2015) ने भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की और एक **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** की स्थापना का सुझाव दिया।
- MCI की कार्यप्रणाली एवं इसके नीतिगत निर्णय-निर्माण के निरीक्षण हेतु वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा **लोढ़ा पैनल** का गठन किया गया था। हालांकि, इसकी अनुशंसाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया।
- चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए **डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक समिति** का गठन किया गया था। इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के निरसन का सुझाव दिया।

भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)

- यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई है।
- यह निम्नलिखित का विनियमन करती है-
  - चिकित्सा शिक्षा के मानक।
  - कॉलेज या पाठ्यक्रमों को आरंभ करने अथवा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति।
  - चिकित्सकों के पेशेवर आचार-मानकों का निर्धारण, जैसे चिकित्सकों का पंजीकरण इत्यादि।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना:** यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा, जो MCI को अपने अंतर्गत सम्मिलित कर लेगा और भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं व्यवसाय को विनियमित करेगा।
  - इसमें 25 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इन सदस्यों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।
  - इसके सदस्यों का **कार्यकाल चार वर्षों का होगा** और वे कार्यकाल के विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- **राज्य चिकित्सा परिषद (SMC):** प्रत्येक राज्य अपने यहाँ तीन वर्षों के भीतर SMC की स्थापना करेगा, जिनकी राज्य स्तर पर NMC के समान भूमिका होगी।
- **चिकित्सा परामर्श परिषद (MAC):** यह राज्यों/संघ शासित राज्यों को NMC के समक्ष अपने मतों और समस्याओं को व्यक्त करने हेतु एक मंच प्रदान करेगी। इससे चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्यसूची (agenda), नीति व कार्रवाई को स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।

VISION IAS

- NMC के पर्यवेक्षण के अंतर्गत **चार स्वायत्त बोर्ड** शामिल हैं:
  - **अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB)**
  - **पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB)**
  - **मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB)**
  - **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड**
- विधेयक के माध्यम से विनियमित किए जा रहे सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एकसमान **राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET)** का आयोजन किया जाएगा।
- चिकित्सा संस्थानों से स्नातक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को चिकित्सा व्यवसाय के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और चिकित्सा संस्थानों में परास्नातक कोर्स में प्रवेश हेतु **नेशनल लाइसेंशिएट इग्ज़ैमिनेशन** का आयोजन किया जायेगा।
- **ब्रिज कोर्स-** यह होम्योपैथी व चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों के पेशेवरों को इस कोर्स को पूरा कर लेने के पश्चात् एलोपैथिक दवाएं लिखने (prescribe) की अनुमति प्रदान करता है।
- **विनियमन को सरल करना:** मेडिकल कॉलेजों को स्थापना एवं मान्यता प्राप्त करने के समय केवल एक बार अनुमति की आवश्यकता होगी तथा वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कॉलेज स्वयं अपनी स्नातक सीटों की संख्या में वृद्धि कर सकेंगे। साथ ही वे परास्नातक पाठ्यक्रमों को भी आरंभ कर सकेंगे।

9.5. एंटी-हाईजैकिंग एक्ट, 2016

(Anti-Hijacking Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 1982 में बने कानून के स्थान पर एंटी-हाईजैकिंग अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया गया।
- नया अधिनियम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाईजेशन (ICAO) के **कठोर उपायों** वाले **बीजिंग प्रोटोकॉल, 2010** के प्रावधानों के अनुरूप है।
- **यह सुनिश्चित करता है कि आतंकियों द्वारा नागरिक विमानों को व्यापक विनाश के हथियार के रूप में प्रयोग ना किया जा सके।**
- ICAO **संयुक्त राष्ट्र** का एक निकाय है। यह **विमानन सुरक्षा, दक्षता और नियमितता एवं पर्यावरण सुरक्षा** संबंधी विनियमों का निर्माण करता है।

संशोधन

- ग्राउंड स्टाफ सहित "**किसी व्यक्ति**" की मृत्यु होने की दशा में मृत्युदंड का प्रावधान।
- हाईजैकिंग की **परिभाषा** को **विस्तृत बना** उसमें निम्नलिखित को भी सम्मिलित कर लिया गया है:
  - हाईजैकिंग का प्रयास अथवा उसके लिए प्रेरित करना;
  - हाईजैकिंग करने की धमकी देना;
  - हाईजैकिंग करना अथवा किसी अन्य को ऐसा करने के लिए निर्देशित करना;
  - इस अपराध के लिए किसी अन्य को सहमति देना और
  - उस सहमति के आधार पर कार्य करना आदि।
- यह अधिनियम संबंधित सुरक्षा बलों को किसी विमान को उड़ान भरने से **रोकने** की शक्ति प्रदान करता है।
- भारतीय वायु सेना किसी बंधक बना लिए गए विमान को **घेरने** व इसे **लैंड करने को विवश करने** हेतु अपने लड़ाकू विमानों को निर्देशित कर सकती है।
- यदि किसी शत्रु विमान के मिसाइल के तौर पर प्रयोग किए जाने की संभावना हो तो उसे **मार गिराया** जा सकता है।

10. नीतियाँ/ योजनाएँ

(POLICIES / SCHEMES)

10.1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल

(National Sports Talent Search Portal)

- भारत सरकार द्वारा **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल** की शुरुआत की गयी है।
- **यह देश भर से खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** की एक पहल है।
- यह पोर्टल मोबाइल एप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।
- सभी इच्छुक नागरिक तीन चरणों की सरल प्रक्रिया द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की विभिन्न योजनाओं के लिए पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- योग्य युवाओं को चयन परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। योजनाओं में प्रवेश, पात्रता मानदंड एवं कई परीक्षणों के साथ ही साथ कौशल परीक्षणों की पूर्ति के आधार पर होगा।

10.2. खेलो इंडिया

(Khelo India)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलों के विकास के लिए 'खेलो इंडिया- नेशनल प्रोग्रामर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स' स्कीम को मंजूरी दे दी है।

खेलो इण्डिया की पृष्ठभूमि

- खेलो इण्डिया कार्यक्रम तीन भिन्न कार्यक्रमों अर्थात् राजीव गाँधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल संरचना योजना (USIS) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS) का विलय करके 2016 में प्रारम्भ किया गया था।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- यह कार्यक्रम **"सभी के लिए खेल"** के साथ-साथ, **"उत्कृष्टता हेतु खेल"** को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य खेलों को **व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास** के **के एक साधन के रूप में** महत्व प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य सम्पूर्ण खेल पारितन्त्र को प्रभावित करना है, जिसमें अवसंरचना, सामुदायिक खेल, प्रतिभा की पहचान, उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण, प्रतियोगिता संरचना और खेल अर्थव्यवस्था सम्मिलित है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अशांत और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को अनुत्पादक और अशांतिजनक गतिविधियों से हटा कर खेल गतिविधियों में सम्मिलित करके राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाना है।
- स्वस्थ जीवन शैली के साथ सक्रिय जनसंख्या का सृजन भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।

ओलम्पिक टास्क फार्स

- 2016 के ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने 2016 में ओलम्पिक टास्क फार्स के गठन की घोषणा की थी। यह टास्क फार्स **आगामी तीन ओलम्पिक खेलों यथा- 2020, 2024 तथा 2028 में भारतीय खिलाड़ियों की प्रभावशाली भागीदारी** हेतु एक योजना तैयार करेगा।
- टास्क फार्स के प्रमुख सुझाव हैं-
  - **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)** को केवल एक सुविधा प्रदाता से प्रशिक्षण प्रदान करने वाले तथा सर्वोत्कृष्ट एथलीटों को तैयार करने वाले, एवं **सम्पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाए।

खिलाड़ियों को केवल **28 वर्ष की आयु तक सक्रिय** माना जाना चाहिए। इसके पश्चात् राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर उन्हें **कोच या रेफरी** के रूप में 'पुनः प्रशिक्षित' किया जाना चाहिए।

VISION IAS

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- **अखिल भारतीय खेल छात्रवृति योजना–** यह योजना चयनित खेलों में प्रतिवर्ष लगभग 1,000 सर्वाधिक प्रतिभावान युवा एथलीटों को शामिल करेगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक एथलीट को निरंतर 8 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्राप्त होगी।
- **विश्वविद्यालय के स्तर पर खेल हब–** देश भर से 20 विश्वविद्यालयों को खेल हब या स्पोर्टिंग हब के रूप में प्रोन्नत किया जाना है। यह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिक्षा और प्रतिस्पर्धी खेलों, दोनों ही मार्गों पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
- **राष्ट्रीय फिटनेस ड्राइव–** यह कार्यक्रम 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के 200 मिलियन बच्चों को शामिल करेगा। यह न केवल इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के शारीरिक फिटनेस की माप करेगा, अपितु उनकी फिटनेस से सम्बन्धित गतिविधियों में भी सहायता करेगा।
- **उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नवीनतम प्रौद्योगिकी–** खेलों को प्रोत्साहन देने से संबंधित सभी पक्षों में नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जैसे खेल प्रशिक्षण के प्रसार के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग, प्रतिभा की पहचान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, स्वेदशी खेलों के लिए इंटरएक्टिव वेबसाइट; खेल से संबंधित अवसंरचना का पता लगाने के लिए GIS आधारित सूचना प्रणाली।

10.3. टारगेट ओलंपिक पोडियम

(Target Olympic Podium)

- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फण्ड (NSDF) से 'NSDF टारगेट ओलंपिक पोडियम (TOP) योजना' का निर्माण किया है।
- इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2016 एवं 2020 के ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने की संभावना वाले एथलीटों को पहचानना एवं उनको आवश्यक समर्थन प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती व निशानेबाजी पर ध्यान दिया जाएगा।
- चयनित एथलीटों को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता व अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत एथलीटों के चयन की कसौटी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।

10.4. ई-समीक्षा

(E-Samiksha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार के विभागों को उन विशिष्ट लक्ष्यों हेतु विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें 2022 तक प्राप्त किया जाना है। इन लक्ष्यों की निगरानी प्रधानमंत्री द्वारा **ई-समीक्षा प्लेटफार्म** के तहत की जाएगी।

ई-समीक्षा

- ई-समीक्षा एक **ऑनलाइन निगरानी तथा अनुपालन तंत्र** है। इसे कैबिनेट सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है।
- इसका उपयोग, **परियोजनाओं और नीतिगत पहलों की प्रगति की निगरानी करने** और **रियल टाइम के आधार पर** कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की जांच करने के लिए किया जाएगा।
- एक **ई-पत्राचार** सुविधा प्रारंभ की गयी है जो ई-मेल और SMS के माध्यम से बैठकों की सूचना और एजेंडा, सर्कुलर, पत्र इत्यादि भेजती है। इस प्रकार यह **'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस'** के सिद्धांत को बढ़ावा देता है।
- **दक्षता में वृद्धि, पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, तथा गवर्नमेंट** से **गवर्नमेंट**, बिज़नेस से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से बिज़नेस के बीच **संचार में सुधार** के लिए **ई-समीक्षा** पोर्टल का निर्माण किया गया है।

VISION IAS

10.5. सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन प्रणाली

(Public Finance Management System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं की निगरानी हेतु सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली क्या है?

- यह एक वेब आधारित सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे **महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय** द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- इसके अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ वित्त आयोग के अनुदान सहित अन्य व्यय शामिल किये गए हैं।
- यह सरकारी योजनाओं के लिए **वित्तीय प्रबंधन मंच (फाइनेंसियल मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म)** के साथ-साथ **भुगतान सह लेखांकन (पेमेंट कम एकाउंटिंग) नेटवर्क** के रूप में कार्य करता है। इसे कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है तथा पूरे देश में RBI सहित 170 बैंकों के साथ इसका इंटरफेस है।

10.6. मिशन अंत्योदय

(Mission Antyodaya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की रैंकिंग जारी की गयी।

संदर्भ

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण का अधिदेश प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों से स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में विकसित होने की अपेक्षा की गयी है।
- हालांकि, नियोजन, प्रशासन और संसाधन आवंटन के अनेक स्तरों के कारण, प्रायः अभाव की समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयास नहीं हुए हैं। अतः अभीष्ट या उच्च गुणवत्ता के परिणाम प्राप्त नहीं होते।

ग्राम पंचायतों की रैंकिंग

- इसमें प्रयुक्त व्यापक मानदंड हैं-
- अवसंरचनात्मक मानदंड
- आर्थिक विकास और आजीविका
- स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता
- महिला सशक्तिकरण
- वित्तीय समावेशन
- तेलंगाना की तिलापुर ग्राम पंचायत को देश का सर्वश्रेष्ठ गाँव घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश के परापात्ला (Parapatla) को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।
- सबसे विकसित पंचायतों में आंध्र प्रदेश की 33 और तमिलनाडु की 21 पंचायतें शामिल हैं।
- उत्तर भारत की केवल 7 ग्राम पंचायतें शीर्ष 83 पंचायतों में शामिल हैं।

मिशन अंत्योदय के क्रियान्वयन हेतु फ्रेमवर्क

- यह फ्रेमवर्क सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि लाभ SECC आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों तक पहुँचे।
- योजनाओं के आंकड़ों से सम्बद्ध एक सुदृढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से, आधार रेखा पर हुई प्रगति के मापन हेतु परिभाषित संकेतकों के समूह के आधार पर एंड टू एंड टार्गेटिंग सुनिश्चित करना संभव होगा।
- इस मिशन में केंद्र और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और मंत्रालय भाग लेंगे।
- पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के संग्रहित डेटा को पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाएगा।
- राज्यों द्वारा उन ग्राम पंचायतों (GPs)/क्लस्टर्स का चयन किया गया है जो या तो खुले में शौच मुक्त (ODF) हैं, अपराध/विवाद मुक्त हैं, ऐसी ग्राम पंचायतें जिनको पुरस्कार मिला है या अन्य योजनाओं के तहत कवर ग्राम पंचायतें।

मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख कार्यविधियाँ

- परिवारों का आधारभूत (बेसलाइन) सर्वेक्षण करना और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के समेकन को सुनिश्चित करना।
- PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, SHGs, संस्थानों और विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं (जैसे- ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के मध्य ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर साझेदारी को संस्थागत बनाना।
- संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यम को बढ़ावा देना।

10.7. पूर्वोत्तर भारत हेतु पहलें

(Initiatives for North-East)

10.7.1. पूर्वोत्तर हेतु नीति फोरम

(NITI Forum for Northeast)

- **फोरम को दिया गया कार्य** - भारत के पूर्वोत्तर में स्थित आठ राज्यों की त्वरित, समावेशी व सतत आर्थिक संवृद्धि के मार्ग में आ रही विभिन्न बाधाओं की पहचान करना तथा इस हेतु उपयुक्त हस्तक्षेपों की अनुशंसा करना। यह इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेगा।

VISION IAS

- **गठन**- नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों के मुख्य सचिव इस फोरम के सदस्य होंगे। इसमें विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व भी रहेगा।

10.7.2. पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना

(North East Rural Livelihood Project)

- यह **केन्द्रीय क्षेत्र की बाह्य सहायता प्राप्त बहु-राज्य परियोजना** है जिसे 2012 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था।
- **इस परियोजना को चार राज्यों - मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम** में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें 10,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है, जो आगे 3 लाख सेअधिक परिवारों को लाभ प्रदान करेंगे।
- इस परियोजना के चार प्रमुख घटक हैं - सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास व प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन।

परियोजना के उद्देश्य

- महिलाओं, युवाओं और समुदायों के विकास के लिए **संधारणीय सामुदायिक संस्थानों का सृजन** करना और मौजूदा व्यवस्थाओं (SHGs और युवा समूहों आदि) को सुदृढ़ बनाना।
- **स्वशासन, निचले स्तर से नियोजन और** पारदर्शिता व उत्तरदायित्वपूर्ण **लोकतांत्रिक कार्यपद्धति** हेतु क्षमता निर्माण।
- **आर्थिक और आजीविका अवसरों** में वृद्धि, विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों के आदिवासी और गैर-आदिवासी समूहों के लिए।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, माइक्रो फाइनेंस, विपणन लिंकेज आदि के लिए **सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी का विकास**।

10.7.3. नार्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल

(North East Calling Festival)

क्या है यह त्यौहार:

- पूर्वोत्तर भारत की **कला, संस्कृति, विरासत, व्यंजन, हस्तशिल्प, व्यवसाय और पर्यटन** के प्रोन्नयन हेतु "नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल" का आयोजन किया जाता है।
- इस त्यौहार या फेस्टिवल का आयोजन MDoNER के "**गन्तव्य पूर्वोत्तर"** द्वारा किया गया है।
- इस अवसर पर निम्नलिखित का भी शुभारम्भ किया गया:
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा उद्यमियों के लिए MDoNER और **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम** के संयुक्त उद्यम के रूप **नॉर्थ-ईस्ट वेंचर फंड**।
    - पूर्वोत्तर भारत में **संधारणीय पर्यटन** के प्रोन्नयन के उद्देश्य से **पूर्वोत्तर पर्यटन विकास परिषद।**

गन्तव्य पूर्वोत्तर (Destination North East)

- यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रोन्नयन (प्रमोशन) हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक सम्मेलनों, प्रदर्शन स्टालों के माध्यम से उत्तर-पूर्व की सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है और यह पर्यटन, कौशल, स्टार्ट अप, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, बागवानी, औषधियों एवं सुगंधित पौधों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य पर आधारित है।
- गन्तव्य पूर्वोत्तर, देश के शेष हिस्सों से पूर्वोत्तर और इसकी विविधता का समावेश करने हेतु MDoNER द्वारा उठाये गये कदमों में से एक है।

VISION IAS

उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम(North Eastern Development Finance Corporation)

- यह अगस्त 1995 में कंपनी अधिनियम,1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों , बुनियादी ढांचे और कृषि-संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए सूक्ष्म, लघु , मध्यम और बड़े उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों/ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से माइक्रोफाइनांस भी प्रदान करता है।

10.7.4. पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना

(Northeast Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)

- यह **केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना** है। इसे केंद्र सरकार द्वारा **100% वित्तपोषण** के साथ अवसंरचनाओं के निर्माण में विद्यमान अंतराल को भरने के लिए प्रारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है-
  - जल आपूर्ति, विद्युत, संपर्क (कनेक्टिविटी) और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित **भौतिक अवसंरचना** :
  - शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित **सामाजिक क्षेत्र अवसंरचना** :

10.7.5. नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज स्कीम

(Non Lapsable Central Pool of Resources Scheme (NLCPR)

- यह, मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य 10% बजटीय आवंटन के अंतर्गत खर्च न हो पायी राशि का संचय है। इसका निर्माण 90:10 के वित्तपोषण प्रारूप के आधार पर 1997-98 में किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे -
  - बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह में वृद्धि करके **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) का तीव्र विकास** सुनिश्चित करना।
  - संविधान की संघ और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित **सामाजिक और भौतिक अवसंरचना** परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) द्वारा दो योजनाओं **NLCPR - राज्य** (पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिकता परियोजनाओं को वित्तीय सहायता) और **NLCPR - केन्द्रीय** (केंद्रीय मंत्रालयों की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता) के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है|
- हाल ही में, मिजोरम में एक NLCPR-केन्द्रीय के माध्यम से वित्तपोषित **ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना (Tuirial Hydro Electric Project)** का उद्घाटन किया गया था।

10.7.6. केंद्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना

(Central Capital Investment Subsidy Scheme)

- **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007** को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2007 में **केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी योजना** प्रारंभ की गयी थी।
- यह **नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ पहले से विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विकास को** बढ़ावा देती है।
- यह संयंत्र एवं मशीनरी अथवा किसी भी अतिरिक्त मद में **किये गये पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी** प्रदान करती है

VISION IAS

पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (NEIIPP)

- NEIIPP, 2007 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने हेतु प्रस्तुत की गई थी। यह पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 का संशोधित रूप है।
- इस नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र सम्मिलित है तथा इसके लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - केन्द्रीय पूँजी निवेश राजसहायता योजना, 2007
  - केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना,
  - केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना,
  - मूल्य संवर्धन आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट,
  - 10 वर्ष की अवधि हेतु आय कर में शत-प्रतिशत छूट।

10.8. उमंग ऐप

(UMANG App)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **UMANG या यूनीफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** ऐप का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य मोबाइल के माध्यम से सरकारी सेवाओं (केंद्रीय, राज्य और जनोपयोगी सेवाओं) तक पहुँच को एक ही स्थान पर सुगम बनाने हेतु एक साझा, एकीकृत मंच और मोबाइल ऐप का निर्माण करना है।
- यह एक **मल्टी-यूटिलिटी ऐप** है। यह आधार, डिजीलॉकर, रैपिड असेसमेंट सिस्टम एवं भारत बिल पेमेंट सिस्टम आदि अन्य प्रमुख सरकारी सेवाओं को समेकित करता है। इसे 13 भारतीय भाषाओं में संचालित किया जा रहा है।
- इसे **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** (MeitY) और **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग** (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है।

10.9. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 3.0

(Government E-Marketplace (GeM) 3.0)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार ने GeM 3.0 लांच करने की घोषणा की है।

अन्य जानकारी

- GeM 3.0 मानकीकृत और बेहतर कैटलॉग प्रबन्धन, सशक्त सर्च इंजन, मूल्य की रियल टाइम में तुलना, उपयोगकर्ताओं की रेटिंग, उन्नत MIS और विश्लेषण प्रदान करेगा।
- केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु, कम्पनी अधिनियम के सेक्शन 8 के अंतर्गत GeM के लिए एक **स्पेशल पर्पज़ व्हीकल** (GeM SPV) का भी निर्माण किया गया।
- GeM 2.0 से GeM 3.0 की ओर जाने हेतु विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए **नेशनल सेलर्स ऑन-बोर्डिंग कैंपेन** प्रारम्भ किया गया है।

VISION IAS

GeM

- 2016 में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच के रूप में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) लांच किया गया था। अब तक 17 राज्यों ने GeM को अपनाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत सरकार द्वारा इसकी परिकल्पना **भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप** में की गयी है।
- इसकी निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। एक वर्ष में इस पर 50,000 करोड़ रूपये तक के लेन-देन होने का अनुमान है और अगले चार से पांच वर्षों में इसके 2 लाख करोड़ रूपये तक पहुंचने का लक्ष्य है।
- GeM, विभिन्न चरणों में ई-साइन (e-sign) के कारण प्रक्रिया को पूर्णतः सुरक्षित और अधिक पारदर्शी व कुशल बनाता है। यह सरकारी खरीददारों द्वारा भारत में बने (मेक इन इण्डिया) और लघु उद्योगों से क्रय को सुगम बनाता है।

11. विविध

(MISCELLANEOUS)

11.1. इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम

(International Comparison Program)

- भारत वर्ष 2017 के संदर्भ में इंटरनेशनल कम्पैरिज़न प्रोग्राम (ICP) के मौजूदा चरण में भाग ले रहा है।
- ICP एक वैश्विक सांख्यिकीय पहल है, जो विश्व बैंक की अगुआई में **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग** के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।
- यह क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और इसके घटकों की तुलना करने में सहायता करता है।
- पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कीमत संबंधी आँकड़ों का संग्रहण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MOSPI**) द्वारा किया जाएगा।

11.2. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

(National Register of Citizen)

सुर्ख़ियों में क्यों?

असम राज्य ने अपडेटेड राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित तथ्य

- NRC में पंजीकृत भारतीय नागरिकों (असम के) के नाम शामिल हैं, जो उन्हें विदेशियों से पृथक करते हैं। इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
- NRC को अब समयबद्ध रूप से अपडेट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **बांग्लादेश से अवैध आप्रवास के मुद्दे से निपटने के लिए** 1985 के असम समझौते को समाविष्ट करना है।
- NRC में उस व्यक्ति या वंश का नाम सम्मिलित होगा, जिसका नाम NRC 1951 में या 24 मार्च 1971 की अर्द्धरात्रि तक की किसी भी मतदाता सूची में शामिल था।

संबंधित तथ्य-

1985 में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6a को असम समझौते को समायोजित करने हेतु नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर शामिल किया गया था। यह 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है जबकि शेष देश के लिए नियत तिथि 19 जुलाई 1948 है।

11.3. इंडियन एक्सक्लूशन रिपोर्ट (IXR) 2016

[Indian Exclusion Report (IXR)2016]

- सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी की गई 2016 की रिपोर्ट में चार सार्वजनिक वस्तुओं यथा वृद्धों के लिए पेंशन, डिजिटल एक्सेस, कृषि भूमि तथा अंडरट्रायल्स के लिए कानूनी न्याय के संबंध में अपवर्जन (exclusion) की समीक्षा की गई है।
- विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सर्वाधिक एवं निरन्तर बहिष्कृत वही समान समूह हैं जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं जैसे:- दलित, आदिवासी, मुस्लिम, विकलांग तथा आयु से संबंधित कमजोरियों से ग्रस्त व्यक्ति।

11.4. ड्रग संबंधी समस्या पर पंजाब और संयुक्त राष्ट्र सहयोग

(UN-Punjab Collaboration on Drug Menace)

सुर्ख़ियो में क्यों?

पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के एक विशेष कार्य बल (STF) और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के मध्य ड्रग की समस्या को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

VISION IAS

UNODC के संबंध में:

- यह सदस्य राष्ट्रों की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से ड्रग्स के अवैध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहायता करता है साथ ही यह इस क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्यों को संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य राज्यों को सम्बंधित संधियों को लागू करने में सहायता प्रदान करता है।
- इसके बजट का करीब 90% हिस्सा स्वैच्छिक योगदान से आता है जिसमें मुख्यतः विभिन्न देशों की सरकारों का योगदान शामिल होता है।

ड्रग के दुरुपयोग से निपटने की रणनीति

- कानून प्रवर्तन में सुधार कर ड्रग्स की आपूर्ति को नियंत्रित करना।
- जिला स्तर पर निवारक कार्रवाई के तौर पर ड्रग्स-विरोधी जागरुकता अभियान में छात्रों और माताओं को शामिल करके सफलता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि अन्य देशों में भी यह प्रयास सफल साबित हुआ है।
- पुनर्वास, जिसका प्रबंधन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

11.5. ग्लोबल इंडेक्स ऑफ़ कन्ट्रीज

(Global Index of Countries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"OECD गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट" में बताया गया है कि 73 प्रतिशत भारतीय अपनी सरकार पर विश्वास रखते हैं। इस तरह भारत सरकार, देश वासियों द्वारा सरकार पर विश्वास के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- यह लोगों के अपनी सरकार पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, यह सेवाओं का प्रभावी रूप में वितरण कर पाने और अपने नागरिकों को जोखिम से बचाने की सरकार की क्षमता पर लोगों के भरोसे को प्रदर्शित करता है।
- स्विट्जरलैंड (80%), सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि ग्रीस (13%) सबसे निचले स्थान पर है।
- यह भारत की 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में सुधार करेगा क्योंकि रिपोर्ट में सरकार की स्थिरता और विश्वसनीयता की पुष्टि हुई है।

OECD

- *ऑर्गेनाईजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट* (OECD) की स्थापना 14 दिसंबर, 1960 में की गई। यह 34 सदस्य देशों का एक समूह है। ये सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा और इन नीतियों के विकास के लिए कार्य करते हैं।
- ज्यादातर उच्च विकसित लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं OECD के सदस्य हैं, जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- OECD उन राष्ट्रों की एक "ब्लैक लिस्ट" रखता है जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन के रूप में माना जाता है।
- यह एक वर्ष में दो बार 'इकोनॉमिक आउटलुक' नामक रिपोर्ट जारी करता है।

VISION IAS

11.6. NCRB का BPRB के साथ विलय

(Merger of NCRB with BPRB)

सरकार ने हाल ही में 'नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)' के 'ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD)' के साथ विलय को अधिसूचित किया है।

- NCRB गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 1986 में भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों व अपराधियों से सम्बंधित खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि कानून का प्रवर्तन प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- BPRD की स्थापना 1970 में एक राष्ट्रीय पुलिस संगठन के रूप में पुलिसिंग से जुड़े विषयों एवं मुद्दों के अध्ययन, शोध व विकास के लिए की गई थी।

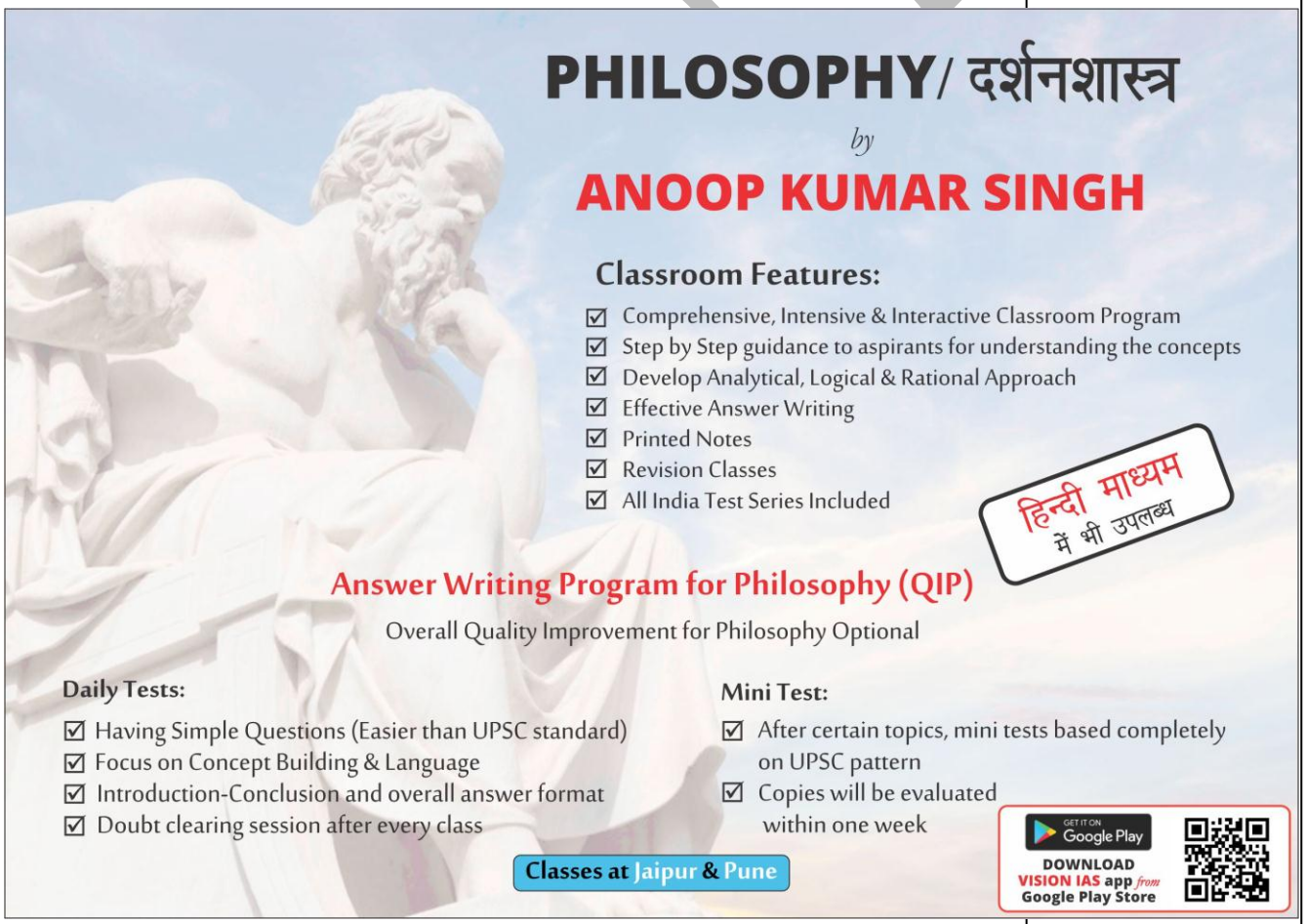

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS